खण्ड-205, अंक-1
सोमवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1881
(27 जुलाई, 1959 ई0)

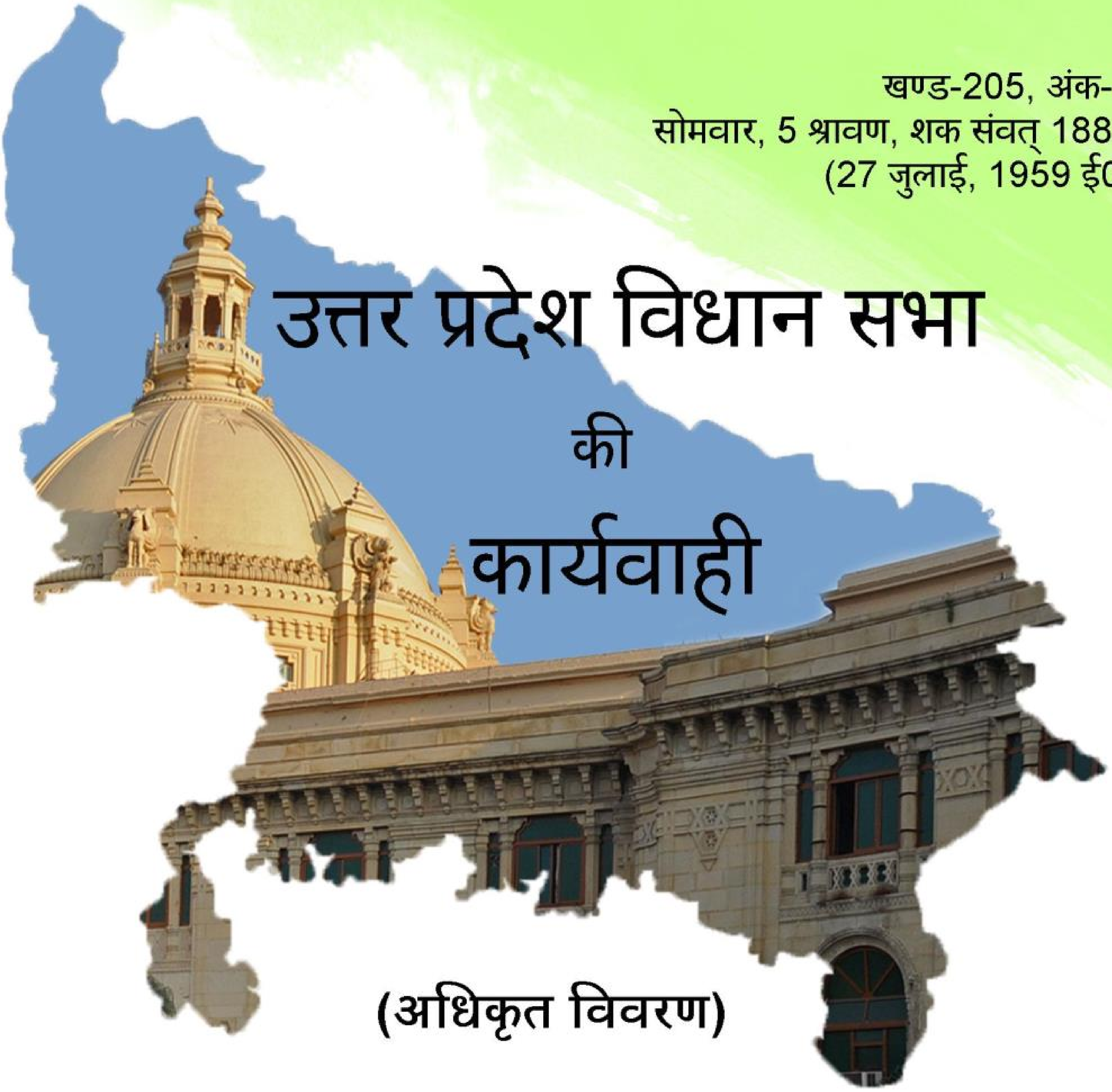

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, २७ जुलाई, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
श्री राज्यपाल से हिन्दी में अभिभाषण करने की प्रार्थना	५
राज्य के विधान मण्डल के सदस्यों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण ..	५–३४
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४
राजा महाराज सिंह तथा श्री राजकुमार शर्मा के निधन पर शोकोद्गार ..	३५–३८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के हिन्दी रूपान्तर का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पठन	३८–३९
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३९
यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	३९
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३९–४०
उत्तर प्रदेश राज्य पथ-परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४०–४१
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत प्रख्यापित आदेश (मेज पर रखे गये)	४१
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४१
रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश नियमावली, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४१–४२
यू० पी० मोटर वेकिहिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२
यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२–४३
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ (मेज पर रखा गया) ..	४३
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ (मेज पर रखा गया)	४३
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ (मेज पर रखा गया)	४३
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ (मेज पर रखा गया)	४३

विषय	पृष्ठ-संख्या
भूमि-व्यवस्था सम्बन्धी नियमावली में किये गये संशोधनों के एकीकरण का सुझाव (मेज पर रखा गया)	४३–४४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	४४
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४५
गवर्नमेंट ग्रान्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	४५
स्वामी विश्वेश्वरानन्द की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	४५
कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४५–४६
विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये श्री नारायणदत्त तिवारी की प्रार्थना (स्वीकृत)	४६
मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों में संशोधन (स्वीकृत)	४६–४७
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४७
गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४७–४८
प्रदेशीय शिक्षा दल की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४८
साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	४८

मंगलवार, २८ जुलाई, १९५९

उपस्थित सदस्य	४९–५३
प्रश्नोत्तर	५३–९०
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मकसूद आलम खां के निधन पर शोकोद्गार	९०–९२
कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	९२–९४
१४ मार्च, १९५९ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	९४–९५
३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न ६ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	९५–९६
गृह मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच से सम्बद्ध सूचना ..	९६–१०३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	१०३–१४९
नत्थियां	१५०–१५३

बुधवार, २९ जुलाई, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१५५–१५९
प्रश्नोत्तर	१५९–१७१
कार्यसूची में प्रतिदिन समान संख्या में प्रश्न रखने की प्रार्थना	१७१
प्रस्तुत संशोधन में परिवर्तन किये जाने पर आपत्ति	१७१–१७८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषय की सूचना	१७८–१७९
यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधनों को देर से सदन की मेज पर रखने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	१७९
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	१७९
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी) ..	१७९–२३०
नत्थियां	२३१–२३२

बृहस्पतिवार, ३० जुलाई, १९५९

उपस्थित सदस्य	२३३–२३७
प्रश्नोत्तर	२३७–२६५
प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में जानकारी	२६५–२६६
कार्यवृत्ति में श्री मोतीलाल अवस्थी के परिवर्तित संशोधन के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	२६६
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्णयों में विरोधाभास की दशा में प्रक्रिया ..	२६६–२६८
संविधान में वर्णित अनर्हताओं का श्री कमलापति त्रिपाठी, गृह मंत्री का कथित आरोप	२६९–२७४
२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न, से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के शोधन के सम्बन्ध में सूचना	२७४
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ (पुरःस्थापित किया गया) ..	२७५
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२७५–३२२
नत्थियां	३२३–३३५

शुक्रवार, ३१ जुलाई, १९५९

उपस्थित सदस्य	३३७–३४१
प्रश्नोत्तर	३४१–३८५
प्रश्नों के उत्तरों में विलम्ब की शिकायत	३८५
मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के विषय में श्री चरणसिंह द्वारा वक्तव्य देने के सम्बन्ध में जानकारी	३८५–३८६
नियम ५२ के अन्तर्गत श्री सियाराम शुक्ल के अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३८६–३८८

विषय	पृष्ठ-संख्या
गृह मंत्री के विरुद्ध अनर्हता का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	३८८–३९०
श्री राजनारायण द्वारा जानकारी की मांग	३९०
२ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न ७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३९१
६ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न ७६ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३९१–३९२
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (सदन द्वारा प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गई)	३९२–३९४
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प जारी	३९४–४४३
विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना	४४३
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	४४४
नत्थियां	४४५–४६५

सोमवार, ३ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	४६७–४७१
प्रश्नोत्तर	४७१–४९७
इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विनियम	४९७–४९८
इटावा जिले में अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अनशनकारियों की गिरफ्तारी के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४९८–५००
केरल में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (जारी)	५००
इलाहाबाद में विश्वविद्यालय तथा अन्य विद्यालयों में कानून के विद्यार्थियों को स्थान न मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५००–५०१
केरल में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५०१–५०२
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	५०३
सदन में जलपान का अवकाश पुनः जारी करने के सम्बन्ध में सुझाव ..	५०३
स्वामी विश्वेश्वरानन्द द्वारा अपने पत्र के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	५०३
९ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न २१ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५०३
संसद् के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राज्य पथों से संलग्न भूमि के प्रयोग के हेतु विनियमन तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत) ..	५०४

विषय	पृष्ठ-संख्या
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	५०५-५२८
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	५२९-५५१
नत्थियां	५५२-५६२

मंगलवार, ४ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	५६३-५६७
प्रश्नोत्तर	५६७-५८६
प्रश्न का गलत उत्तर देने के कारण श्री इस्तफा हुसैन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (श्री अध्यक्ष का निर्णय स्थगित)	५८६
आजमगढ़ में सस्ते गल्ले की दूकानें कम करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५८६
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ला कालेज में विद्यार्थियों की भर्ती बन्द करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५८६-५८८
क्वींस कालेज, वाराणसी में कक्षा ७ की पढ़ाई बन्द करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५८८-५८९
नियम ५२ के अन्तर्गत आये अन्य विषयों के सम्बन्ध में जानकारी ..	५८९
कार्यवृत्त में छपी अशुद्धि के निराकरण के सम्बन्ध में सुझाव	५८९
श्री राजनारायण के केरल सम्बन्धी कार्य-स्थगन-प्रस्ताव---जनित भ्रम निवारणार्थ स्पष्टीकरण	५८९-५९०
मंत्रिमंडल से इस्तीफे के उपरान्त श्री चरणसिंह द्वारा वक्तव्य देने के बारे में सूचना	५९०
विज्ञप्तियों को विलम्ब से मेज पर रखने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री का स्पष्टीकरण	५९०-५९१
साप्ताहिक कार्य-क्रम के बारे में सूचना की मांग	५९१-५९३
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ के अननुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	५९३-६४१
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ (विचार जारी)	६४१-६४२
इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट तथा प्रदेशीय शिक्षा दल परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम	६४३
नत्थियां	६४४-६४८

बुधवार, ५ अगस्त, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६४९–६५३
प्रश्नोत्तर	६५३–६५९
प्रश्न का गलत उत्तर देने के कारण श्री इस्तफा हुसैन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	६५९
नियम ५२ के अन्तर्गत भोटियों का व्यापार बन्द होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	६५९–६६२
कार्यवृत्ति में छपी अशुद्धि का शोधन	६६२
जानकारी की मांगें	६६२–६६३
क्वींस कालेज, वाराणसी में कक्षा ७ की पढ़ाई बन्द करने के सम्बन्ध में सूचना	६६३
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९५९ (पारित) ..	६६३–६७४
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ (प्रस्ताव पर कि विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद--जारी) ..	६७४–७१४
नत्थी	७१५

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	७१७–७२१
प्रश्नोत्तर	७२१–७४१
प्रश्न का गलत उत्तर देने के कारण श्री इस्तफा हुसैन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	७४१–७४३
नियम ५२ के अन्तर्गत दो दलों में मारपीट के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षणार्थ सूचना	७४३
नव-निर्मित 'सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी' के सम्बन्ध में सूचना	७४३
मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव	७४४–७९९
नत्थी	८००

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५९

उपस्थित सदस्य	८०१–८०५
प्रश्नोत्तर	८०५–८३०
प्रश्नों के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	८३०
सदन के अन्दर या उसके बाहरी दायरे के अन्दर अनधिकृत पर्चा बंटन के सम्बन्ध में आपत्ति	८३०
मंत्रि परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव (जारी)	८३१–८४३

विषय	पृष्ठ-संख्या
खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	८४३
मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत)	८४३–८९०
नत्थियां	८९१–८९४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्

मंत्री (जो मंत्रि मंडल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस०-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, स्वास्थ्य, माल, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा वन मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री ।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मंत्री ।

मंत्री (जो मत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादककर तथा परिवहन मंत्री ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, खाद्य मंत्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण मंत्री ।

उप-मंत्री

श्री सुल्तान आलम खाँ, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य, श्रम उपमंत्री ।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य, गृह उपमंत्री ।

श्री महावीरसिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता उपमंत्री ।

श्री जयराम वर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त-शासन उपमंत्री ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल, विधान-सभा-सदस्य, राजस्व उपमंत्री ।

श्री दीनदयालु शास्त्री, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री कालीचरण अग्रवाल, विधान सभा सदस्य, कृषि उपमंत्री ।

अवर सचिव विधान सभा

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा–सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा–सदस्य ।

श्री राजबिहारी सिंह, विधान–सभा–सदस्य ।

राजस्व मंत्री के सभा–सचिव

श्री धर्म सिंह, विधान–सभा–सदस्य ।

गृह–मंत्री के सभा–सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान–सभा–सदस्य ।

विधान सभा सचिवालय पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उसके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवर सिंह, श्री	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	कोपागंज
७	अब्दुस्समी श्री	बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	जसवंतनगर
९	अमरनाथ, श्री	महराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	मिर्जापुर
११	अमोलादेवी, श्रीमती	अठेहा
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	उतरौला
१४	अलीजहीर, श्री सैयद	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर	मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	भोजपुर
१७	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित (आंग्ल-भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री	सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	कानपुर-शहर
३२	उल्फतसिंह, श्री	सहसवान
३३	ऊदल श्री	कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	कानपुर-शहर
३५	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद
३६	कमरुद्दीन, श्री	बुधना
३७	कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी	करछना
३८	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली
३९	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले	पुवायां

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
४०	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनामछुन्नन गुरु ..	.. इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४१	कल्याणराय, श्री ..	.. शाहाबाद
४२	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री ..	.. महाइच
४३	कालीचरण अग्रवाल, श्री ..	.. कासगंज
४४	काशीप्रसाद पांडेय, श्री ..	.. कादीपुर
४५	किशनसिंह, श्री ..	.. ठाकुरद्वारा
४६	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	.. सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री ..	.. मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री ..	.. मनीराम
४९	केशवराम, श्री ..	.. बिसौली
५०	कैलाशकुमार सिंह, श्री ..	.. इस्लामनगर
५१	कैलाशनारायण गुप्त, श्री ..	.. इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाशप्रकाश, श्री ..	.. मेरठ शहर
५३	कैलाशवती, श्रीमती ..	.. छिल्लूपुर
५४	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री ..	.. छिबरामऊ
५५	कृपाशंकर, श्री ..	.. नगर
५६	खजान सिंह, चौधरी ..	.. उन्नाव
५७	खमानी सिंह, डाक्टर ..	.. मुरादाबाद (देहात)
५८	ख्यालीराम, श्री ..	.. मोहनलालगंज
५९	खुशीराम, श्री ..	.. पिथौरागढ़
६०	खूबसिंह, श्री ..	.. धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री ..	.. एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा) ..	.. गोंडा (दक्षिण)
६३	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा) ..	.. एटा
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री ..	.. रसरा
६५	गजेंद्र सिंह, श्री ..	.. बिधुना
६६	गज्जूराम, श्री ..	.. ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री ..	.. बांसगांव
६८	गणेशचन्द्र काछी, श्री ..	.. भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री ..	.. बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री ..	.. कुंडा
७१	गयाबख्शसिंह, श्री ..	.. इसौली
७२	गयूर अली खां, श्री ..	.. भवन
७३	गरीबदास, श्री ..	.. कालपी
७४	गिरधारी लाल, श्री ..	.. धामपुर
७५	गुप्तारसिंह, श्री ..	.. सरेनी
७६	गुरुप्रसाद सिंह, श्री ..	.. मुसाफिरखाना
७७	गूलाबसिंह, श्री ..	.. मसूरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती ..	.. खलीलाबाद
७९	गेंदासिंह, श्री ..	.. पडरौना (पूर्व)
८०	गोकुल प्रसाद, श्री ..	.. चायल
८१	गोपाली, श्री ..	.. खुर्जा
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री ..	.. नारायनी

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
८३	गोविंदनारायण तिवारी, श्री	.. .. जालौन
८४	गोविंदसहाय, श्री	.. .. नगीना
८५	गोविन्द सिंह विष्ट, श्री	.. .. अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री	.. .. फरेंदा (पश्चिमी)
८७	गौरीशंकर राय, श्री	.. .. बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	.. .. बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	.. .. भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	.. .. मोहम्मदाबाद गोहाना
९१	चन्द्रदेव, श्री	.. .. पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	.. .. निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	.. .. पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	.. .. बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	.. .. बिजनौर
९६	चन्द्रिका प्रसाद, श्री	.. .. बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री	.. .. कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	.. .. कौंच
९९	चिरंजी लाल जाटव, श्री	.. .. जलेसर
१००	छत्तर सिंह, श्री	.. .. खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	.. .. आगरा शहर
१०२	छेदी लाल, श्री	.. .. श्रीनगर
१०३	छोटे लाल पालीवाल, श्री	.. .. सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	.. .. हैदरगढ़
१०५	जगदीश नारायण, श्री	.. .. बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री	.. .. मोहम्मदी
१०७	जगदीश प्रसाद, श्री	.. .. हसनपुर
१०८	जगदीश शरण अग्रवाल, श्री	.. .. बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी	.. .. सिकंदरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री	.. .. धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	.. .. फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री	.. .. करवी
११३	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	.. .. गंगा सलाण
११४	जगबीर सिंह, श्री	.. .. अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री	.. .. गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर	.. .. हरौरा
११७	जयदेव सिंह आर्य, श्री	.. .. घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री	.. .. टांडा
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद	.. .. बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री	.. .. मंझनपुर
१२१	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	.. .. कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री	.. .. किशनपुर
१२३	जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री	.. .. कांठ
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य	.. .. गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	.. .. मेजा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	..	..	घाटमपुर
१२७	झारखन्डेराय, श्री	..	..	घोसी
१२८	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	..	..	खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	..	..	बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	..	..	सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री	..	..	राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	..	सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	..	..	मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	..	..	सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	..	..	लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	..	..	गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकीसिंह, श्री	..	..	लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	..	..	कानपुर शहर
१३९	दशरथप्रसाद, श्री	..	..	बलरामपुर
१४०	दाताराम, चौधरी	..	..	नकुड़
१४१	दीनदयालु करुण, श्री	..	..	बलरामपुर
१४२	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	..	अनूपशहर
१४३	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	..	रुड़की
१४४	दीपंकर, आचार्य	..	..	बड़ौत
१४५	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	..	..	देवरिया (दक्षिण)
१४६	दुर्योधन, श्री	..	..	महराजगंज
१४७	देवकीनन्दन विभव, श्री	..	..	आगरा शहर
१४८	देवदत्तसिंह, श्री	..	..	टप्पल
१४९	देवनारायण भारतीय, श्री	..	..	जमौर
१५०	देवराम, श्री	..	..	शादियाबाद
१५१	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	..	..	अकबरपुर
१५२	द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	..	मुजफ्फरनगर
१५३	द्वारिकाप्रसाद, श्री	..	..	कन्नौज
१५४	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	..	..	फरेन्दा (पूर्व)
१५५	धनीराम, श्री	..	..	लालगंज
१५६	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	..	महुली
१५७	धरमपाल सिंह, श्री	..	..	तुलसीपुर
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	..	सिरौली
१५९	धर्मसिंह, श्री	..	..	अनूपशहर
१६०	नत्थाराम रावत, श्री	..	..	बाराबंकी
१६१	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	..	..	फरीदपुर
१६२	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	..	करहल
१६३	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	..	हाथरस
१६४	नन्दराम, श्री	..	..	कुण्डा
१६५	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	..	..	चांदपुर
१६६	नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री	..	..	केदारनाथ
१६७	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	..	पिथौरागढ़
१६८	नवलकिशोर, श्री	..	..	आंवला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१६९	नागेश्वरप्रसाद, श्री ..	.. गरवारा
१७०	नारायणदत्त तिवारी, श्री ..	.. नैनीताल
१७१	नारायणदास पासी, श्री ..	.. बीकापुर (पश्चिम)
१७२	निरञ्जनसिंह, श्री ..	.. पीलीभीत
१७३	नेकराम शर्मा, श्री ..	.. अतरौली
१७४	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	.. अतरौलिया
१७५	पब्बरराम, श्री ..	.. गाजीपुर
१७६	परमानन्द सिंहा, श्री ..	.. सोरांव (पश्चिम)
१७७	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री ..	.. पुर्वा
१७८	पहलवानसिंह, चौधरी ..	.. बांदा
१७९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती ..	.. मेरठ (छावनी)
१८०	प्रतापबहादुरसिंह, श्री ..	.. फखरपुर
१८१	प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री ..	.. लहरपुर
१८२	प्रतापसिंह, श्री ..	.. टनकपुर
१८३	प्रभावती मिश्र, श्रीमती ..	.. लम्भूआ
१८४	प्रभुदयाल, श्री ..	.. बानगंगा (पश्चिम)
१८५	फतेहसिंह राणा, श्री ..	.. सरधना
१८६	बंशीधर शुक्ल, श्री ..	.. श्रीनगर
१८७	बलदेवसिंह, श्री ..	.. महदेवा
१८८	बलदेव सिंह आर्य, श्री ..	.. शाहाबाद
१८९	बलवानसिंह, श्री ..	.. अकबरपुर
१९०	बसन्तलाल , श्री ..	.. लखनऊ (छावनी)
१९१	बादामसिंह, श्री ..	.. शिकारपुर
१९२	बाबूराम , श्री ..	.. भोजीपुरा
१९३	बाबूलाल कुसुमेश , श्री	.. प्रताप गंज
१९४	बालकराम, श्री ..	.. तिलहर
१९५	बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री	.. डोमरिया गंज (दक्षिण)
१९६	बिन्दुमतीदास, श्रीमती	.. प्रतापगंज
१९७	बिशम्भरसिंह, श्री ..	.. हस्तिनापुर
१९८	बिहारीलाल, श्री ..	.. बीसलपुर
१९९	बुलाकीराम, श्री ..	.. हरदोई
२००	बुद्धीलाल, श्री ..	.. नानपारा
२०१	बुद्धीसिंह, श्री ..	.. बहजोई
२०२	बृजवासी लाल, श्री ..	.. बीकापुर (पश्चिम)
२०३	बृजरानी मिश्र, श्रीमती ..	.. बिल्हौर
२०४	बेचनराम, श्री ..	.. ज्ञानपुर
२०५	बेचनराम गुप्त, श्री ..	.. ज्ञानपुर
२०६	बेनीबाई, श्रीमती ..	.. मऊ
२०७	बैजूराम, श्री ..	.. सिधौली
२०८	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	.. पड़रौना (पश्चिम)
२०९	ब्रजभूषण शरण, श्री ..	.. देहरादून
२१०	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ..	.. कानपुर शहर
२११	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	.. भावापुर

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२१२	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१३	भगवतीसिंह विशारद, श्री	भगवन्तनगर
२१४	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
२१५	भजनलाल, श्री	औरैया
२१६	भीखालाल, श्री	हसनगंज
२१७	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	इटावा
२१८	भूपकिशोर, श्री	अलीगंज
२१९	मंगलाप्रसाद, श्री	मेजा
२२०	मंजूरुलनबी, श्री	सहारनपुर
२२१	मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री	नौगढ़
२२२	मदनगोपाल वैद्य, श्री	अमीसन
२२३	मदनपाडेंय, श्री	तिलपुर
२२४	मदनमोहन, श्री	फैजाबाद
२२५	मन्नालाल, श्री	मोहमदी
२२६	मलखानसिंह, श्री	सिकन्दराराऊ
२२७	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	मैनपुरी
२२८	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	दसना
२२९	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	स्वार टांडा
२३०	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	मुजफ्फराबाद
२३१	महमूद हुसैन खां, श्री	सम्भल
२३२	महादेवप्रसाद, श्री	फखरपुर
२३३	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	केवाई
२३४	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ शहर (मध्य)
२३५	महीलाल, श्री	बिलारी
२३६	महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	बाह
२३७	महेशसिंह, श्री	हरदोई
२३८	माताप्रसाद, श्री	शाहगंज
२३९	मान्धातासिंह, श्री	कोपाचीत
२४०	मिहरबानसिंह, श्री	भरथना
२४१	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	रुदौली
२४२	मुक्तिनाथ राय, श्री	गोपालपुर
२४३	मुजफ्फर हसन, श्री	चायल
२४४	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	बीसल
२४५	मुबारक अली खां, श्री	उसेहट
२४६	मुरलीधर, श्री	माहुल
२४७	मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर
२४८	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	सफीपुर
२४९	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	बाराणसी शहर (उत्तर)
२५०	मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर)
२५१	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	बानगंगा (पूर्व)
२५२	मुहम्मद हुसैन, श्री	बरेली छावनी
२५३	मूलचन्द, श्री	मिसरिख
२५४	मोतीलाल अवस्थी, श्री	कानपुर (देहात)

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२५५	मोहनलाल, श्री ..	.. महोबा
२५६	मोहनलाल गौतम, श्री ..	.. कोयल
२५७	मोहनलाल वर्मा, श्री ..	.. संडीला
२५८	मोहनसिंह मेहता, श्री ..	.. दानपुर
२५९	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	.. राय बरेली (उत्तर)
२६०	यमुनासिंह, श्री ..	.. शादियाबाद
२६१	यशपालसिंह, श्री ..	.. देवबन्द
२६२	यशोदादेवी, श्रीमती ..	.. बांसगांव
२६३	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	.. जौनपुर
२६४	रऊफ जाफरी, श्री ..	.. मछलीशहर
२६५	रघुनाथसहाय यादव, श्री	.. किशनपुर
२६६	रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री, उपनाम लाल साहब ..	.. सादुल्ला नगर
२६७	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	.. बुलन्दशहर
२६८	रघुवीरराम, श्री ..	.. मोहम्मदाबाद
२६९	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	.. जलेसर
२७०	रघुवीरसिंह , श्री (मेरठ)	.. बागपत
२७१	रणबहादुरसिंह, श्री ..	.. हरैया (पश्चिम)
२७२	रमाकांतसिंह, श्री ..	.. अमेठी
२७३	रमानाथखेरा, श्री ..	.. ललितपुर
२७४	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ..	.. बरसाथी
२७५	राघवराम पांडेय, श्री ..	.. गोंडा (दक्षिण)
२७६	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री ..	.. मनकापुर
२७७	राजकिशोर राव, श्री ..	.. इकौना
२७८	राजदेव उपाध्याय, श्री	.. सिधुवाजोबना
२७९	राजनारायण , श्री ..	.. कसवार सरकारी
२८०	राजनारायणसिंह, श्री ..	.. अहरौरा
२८१	राजबिहारीसिंह, श्री ..	.. कसवार राजा
२८२	राजाराम शर्मा, श्री ..	.. खलीलाबाद
२८३	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८४	राजेन्द्रकुमारी , श्रीमती	.. मौदहा
२८५	राजेन्द्रदत्त, श्री ..	.. शिकारपुर
२८६	राजेन्द्रसिंह, श्री ..	.. गोंडवा
२८७	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री ..	.. शमसाबाद
२८८	रामअधार तिवारी , श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२८९	रामअभिलाख, श्री ..	.. गोंड़ा, (उत्तर)
२९०	रामकिंकर, श्री ..	.. पट्टी
२९१	रामकुमार वैद्य, श्री ..	.. अमरोहा
२९२	रामकृष्ण जैसवार, श्री	.. कंतित
२९३	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	.. फर्रुखाबाद
२९४	रामचन्द्र उनियाल, श्री	.. रवाई
२९५	रामचन्द्र विकल, श्री ..	.. सिकन्दराबाद
२९६	रामजीलाल सहायक, श्री	.. सरधना

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२९७	रामजीसहाय, श्री ..	.. सिलहट
२९८	रामदास आर्य, श्री ..	.. जानसठ
२९९	रामदीन , श्री ..	.. करहल
३००	रामनाथ पाठक , श्री ..	.. दोआबा
३०१	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	.. सुरहुरपुर
३०२	रामपाल त्रिवेदी , श्री	.. मलीहाबाद
३०३	रामप्रसाद, श्री ..	.. सलोन
३०४	रामप्रसाद देशमुख, श्री	.. कोयल
३०५	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	.. लैन्सडाउन
३०६	रामबली, श्री ..	.. मुसाफिर खाना
३०७	राममूर्ति, श्री ..	.. बहेड़ी
३०८	रामरतन प्रसाद, श्री ..	.. रसरा
३०९	रामरती देवी, श्रीमती ..	.. अकबरपुर
३१०	रामलक्षण तिवारी, श्री ..	.. बांसडीह, (पूर्व)
३११	रामलखन, श्री (वाराणसी)	.. चन्दौली
३१२	रामलखन मिश्र, श्री ..	.. बांसी (पश्चिम)
३१३	रामलखन सिंह, श्री	.. रारी
३१४	रामलाल, श्री ..	.. नगर
३१५	रामवचन यादव, श्री ..	.. माहुल
३१६	रामशरण यादव, श्री ..	.. मोहनलाल गंज
३१७	रामसनेही भारतीय, श्री	.. बबेरू
३१८	रामसमझावन , श्री ..	.. केराकत
३१९	रामसिंह, चौहान, श्री वैद्य	.. एतमादपुर
३२०	रामसुन्दर पाडेय, श्री ..	.. नत्थूपुर
३२१	रामसूरत प्रसाद, श्री ..	.. पिपराइच
३२२	रामस्वरूप यादव, श्री ..	.. जसराना
३२३	रामस्वरूप वर्मा, श्री ..	.. भोगनीपुर
३२४	रामहेत सिंह, श्री ..	.. छाता
३२५	रामायण राय, श्री ..	.. पड़रौना (दक्षिण)
३२६	रामेश्वर प्रसाद , श्री ..	.. बछरावां
३२७	रुकनुद्दीन खां, श्री ..	.. कोंहडौर
३२८	रूर्मासिंह, श्री ..	.. खेरा बजेहरा
३२९	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री ..	.. काशीपुर
३३०	लक्ष्मणराव कदम, श्री ..	.. गरोथा
३३१	लक्ष्मणसिंह, श्री ..	.. रानीखेत (दक्षिण)
३३२	लक्ष्मीनारायण, श्री ..	.. पहाड़पुर
३३३	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	.. फतेहाबाद
३३४	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	.. माट
३३५	लखमीसिंह, श्री ..	.. इगलास
३३६	लायकसिंह चौधरी, श्री ..	.. शिकोहाबाद
३३७	लालबहादुरसिंह, श्री ..	.. केराकत
३३८	लुत्फअली खां, श्री ..	.. हापुड़
३३९	लोकनाथसिंह, श्री ..	.. कटेहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३४०	बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री	हैदरगढ़
३४१	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	जमानिया
३४२	वसी नकवी, श्री	रोखा
३४३	वासुदेव दीक्षित, श्री	खागा
३४४	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	मोदीनगर
३४५	विजयशंकरसिंह, श्री	मुहम्मदाबाद
३४६	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	शाहाबाद
३४७	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	देव प्रयाग
३४८	विशालसिंह, श्री	भिटौली
३४९	विश्रामराय, श्री	आजमगढ़
३५०	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	करांद
३५१	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	फतेहपुर सीकरी
३५२	वीरसेन, श्री	हापुड़
३५३	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	कैराना
३५४	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	बहराइच (दक्षिण)
३५५	वीरेन्द्रशाह, राजा	कालपी
३५६	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	महोवा
३५७	ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	घाटमपुर
३५८	शंकरलाल, श्री	कादीपुर
३५९	शकुन्तलादेवी, श्रीमती	हरौरा
३६०	शब्बीर हसन, श्री	खजुहा
३६१	शमशुल्ल इस्लाम, श्री	निधपुर
३६२	शम्भूदयाल, श्री	संडीला
३६३	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	हरद्वार
३६४	शिवगोपाल तिवारी, श्री	सफीपुर
३६५	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	सिधुवाजोबना
३६६	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	खीरी
३६७	शिवमंगल सिंह, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३६८	शिवमूर्ति , श्री	फूलपुर
३६९	शिवराजबली सिंह, श्री	फतेहपुर
३७०	शिवराजबहादुर, श्री	नवाबगंज
३७१	शिवराजसिंह यादव, श्री	बिसौली
३७२	शिवराम, श्री	अफजलगढ़
३७३	शिवराम पान्डेय, श्री	डेरापुर
३७४	शिववचनराव, श्री	सलेमपुर (दक्षिण)
३७५	शिवशंकरसिंह, श्री	डलमऊ
३७६	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	इकौना
३७७	शीतलाप्रसाद , श्री	तरबगंज
३७८	शोभनाथ, श्री	राबर्ट्सगंज
३७९	श्याममनोहर मिश्र, श्री	लखनऊ (छावनी)
३८०	श्यामलाल, श्री	माट
३८१	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८२	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	किथोर,

लोकसभा सचिवालय

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३८३	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	..	उझानी
३८४	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	खैरागढ़
३८५	श्रीनाथ, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहाना
३८६	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा
३८७	श्रीनिवास, श्री	..	गांगरी
३८८	श्रीपालसिंह, कुंवर	..	शाहगंज
३८९	संग्रामसिंह, श्री	..	सोरांव (पूर्व)
३९०	सईद अहमद अन्सारी, श्री	..	ज्वालापुर
३९१	सजीवनलाल, श्री	..	हसनगंज
३९२	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	..	दादरी
३९३	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९४	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	सरजू
३९५	सियादुलारी, श्रीमती	..	करवी
३९६	सीताराम, डाक्टर	..	सिलहट
३९७	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (पूर्व)
३९८	सुक्खनलाल, श्री	..	हसनपुर
३९९	सुखरानी, श्रीमती	..	फतेहपुर
४००	सुखरामदास, श्री	..	टांडा
४०१	सुखलाल, श्री	..	औरैया
४०२	सुखोराम भारतीय, श्री	..	फूलपुर
४०३	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	..	मऊ
४०४	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	सलोन
४०५	सुन्दरलाल, श्री	..	फरीदपुर
४०६	सुरथबहादुर शाह, श्री	..	निघासन
४०७	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर
४०८	सुरेंद्रसिंह, राजकुमार	..	पुवायां
४०९	सुरेशप्रकाशसिंह, श्री	..	बिसवां
४१०	सुल्तानआलम खां, श्री	..	कायमगंज
४११	सूरत चन्द्र रमोला, श्री	..	टेहरी
४१२	सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा
४१३	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	बांसी (पूर्व)
४१४	हमीदुल्ला खां, श्री	..	चारदा
४१५	हरकेशबहादुर, श्री	..	पट्टी
४१६	हरदयालसिंह, श्री	..	जलालाबाद
४१७	हरदयालसिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१८	हरदेवसिंह, श्री	..	देवबन्द
४१९	हरिदत्त कांडपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४२०	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	दातागंज
४२१	हरिहरबख्श सिंह, श्री	..	पाली
४२२	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२३	हरीसिंह, श्री	..	किथौर
४२४	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२५	हिम्मतसिंह, श्री	..	डिबाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
४२६	हुकुम सिंह विसेन, श्री	..	कैसरगंज
४२७	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४२८	होरीलाल यादव, श्री	..	कन्नौज
४२९	(रिक्त)	..	शिवपुर
४३०	(रिक्त)	..	शाहजहांपुर
४३१	(रिक्त)	..	चुनार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २७ जुलाई, १९५९

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान-मण्डल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बजे सभा-मण्डप, लखनऊ में पधारे ।

विधान सभा के निम्नलिखित ३८६ सदस्य उपस्थित थे--

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद, मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री

नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खा, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुन्दविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय, यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह , श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहर्तसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री

शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर,
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियाबलारी, श्रीमती
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्री राज्यपाल से हिन्दी में अभिभाषण करने की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना सम्बोधन हिन्दी में दें। यदि आप हिन्दी न बोल सकें तो राष्ट्रीय किसी भाषा में जो संविधान में मान्यता प्राप्त कर चुकी है उसमें बोलें और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके प्रति आदर का भाव रखते हुए भी हमको सदन का त्याग करना पड़ेगा।

राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान-मण्डल के सदस्यों के समक्ष श्री राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया—

Speaker, Legislative Assembly, Chairman, Legislative Council and Members of the Legislature

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

Before I address the Hon'ble Members of both the Houses in this Joint Session of the Legislature, I seek their indulgence for making a personal statement in the matter of my addressing them in Hindi. I want to make my position in this matter clear. During the last joint Session, I had stated that I am one who is firmly of opinion that ultimately Hindi will have to become the lingua franca of our country, and there can be no two opinions on this issue. It is a physical impossibility for me to address in Hindi, because I am not versed in it, however much I may desire to fulfil the

wishes of some of those who are very strong advocates of Hindi. I, there fore, request them to take my sincere will for the deed.

I am unable to agree with those who contend that I should address the House in Tamil or Telugu which can neither be understood nor followed by any one here; and, therefore, the only other course for me is to address in the English language, which is generally understood by many Members of the House.

In order, however, to be sure that they can follow my Address, I requested the authorities to see that the Hindi version is also in the hands of every Member of the House. Not only that, if it is the desire of the House, soon after my Address, the Hon'ble Speaker will kindly take the trouble of reading its Hindi version also. Under the circumstances, I hope to be forgiven if I am not able to comply with the wishes of certain Members in this matter. But, all the same, I appreciate the position taken by them.

I had the privilege of addressing you for the first time last year on July 21, and it gives me much pleasure and happiness now to address you again.

We are passing through momentous times. Significant changes of considerable importance are taking place rapidly all around us, both in our country as well as in the international field. Our country's leadership under the able stewardship of Pandit Jawahar Lal Nehru has brought us credit, recognition and honour in the international field and has won for itself a place of respect and affection in the hearts of our people. Although international affairs are not directly within our purview, yet we cannot but feel concerned about what is happening in the world today. The outcome of the Geneva talks with a possibility of its leading to a Summit conference is of considerable significance and importance for the future peace and harmonious relationship among the powerful Nations of the world. There is growing understanding and appreciation in most countries about our attitude and policies. The unfortunate happenings in Tibet leading to the Dalai Lama taking asylum in Mussoorie in our State naturally evoked serious thoughts among us. The successful general elections in Nepal followed by the installation of the first popular and elected Government there and the promulgation of a new Constitution are all matters which have given us happiness and satisfaction. On the other hand, the growth of military dictatorship in some of the other countries gave cause for concern to all of us, who firmly believe in the democratic process and constitutional methods. This, in a way, should also act as an eye-opener to us towards the dangers that can threaten any country where the importance of democratic principles, traditions and conventions is not fully appreciated and accepted.

We are passing through the fourth year of the Second Five-Year Plan, which as you all know, embraces all kinds of Governmental activities and contains schemes of phased and integrated developmental programmes on a five-year basis. The progress of the Plan Schemes seems satisfactory on the whole and every effort is being made to achieve the targets that have been fixed. The Finance Minister, while presenting the Budget for the current financial year in the last session, has already given you an idea of the past activities of my Government and a glimpse of the activities proposed to be undertaken in the current financial year. You had ample opportunities to know about those acitivities through the budget proposals and discussions and also through the various departmental reports which were made available to you from time to time. I, therefore, do not propose to take much of your

time in reiterating what has already been placed before you and discussed by you. I will content myself by placing before you some of the very important activities of my Government and certain important policies which my Government is going to pursue in fulfilment of its objective of a Socialistic Pattern of Society. I would also inform you about some important legislative business which you may be required to transact during the session in fulfilment of those policies. Any omission of a reference to any branch of the Governmental activities should, therefore, be understood in this context.

I have already referred to the generally satisfactory progress of the schemes included in the Second Five-Year Plan. Forward thinking in connexion with the formulation of the Third Five-Year Plan has already started in accordance with the directives of the National Development Council and the Planning Commission keeping in mind the ideas of prospective planning and the national objectives. Various study groups have already been formed and efforts are being made to make use of the available talent and the experience. The result of these deliberations is bound to come before you at the appropriate stage. My Government has given adequate thought to the implementation of the various national policies, such as , the democratic decentralization of Development Administration, imposition of ceilings on land holdings, State trading in foodgrains, and the increasing use of co-operative methods in all branches of human activity. I shall refer again to these matters a little later.

It is now beyond question that in the Community Development Organization, we are conducting the most significant experiment through the joint effort of the people and the Government machinery in equipping the people with the "know how" and the means of shaping their own destiny. In spite of the difficulties and the shortcomings in this movement, it has to be acknowledged that speaking generally, considerable progress has been achieved. The people's participation in these programmes is showing a rapid increase. In accordance with the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee, necessary adjustments are being made. The State will now be covered with the Community Development Blocks by 1963 and not by 1961 as originally contemplated. This will enable us to pay greater attention to the existing Blocks. It is anticipated that by October this year, 52·6 per cent of the total area of the State 46·1 per cent of its total population or 53·4 per cent of its total rural population would be covered by the Community Development Blocks in the various stages. As indicated by me in my last address to you, my Government appointed a Committee for Evaluation and on Public Participation under the Chairmanship of Sri Govind Sahai, M.L.A. This Committee has already submitted its report. Its recommendations are under consideration and I have no doubt that these valuable recommendations would further intensify the tempo of this programme.

As has been stated on many occasions in the past, agriculture, which is the main-stay of the people of this State, continues to receive the highest priority. The target for additional food production by the end of the Second Five-Year Plan has been fixed at 2.4 million tons. My Government expects that in normal circumstances with timely rains and no calamities, with the timely execution of Major and Minor Irrigation Projects, increased application of fertilizers and manures, improved seed saturation programmes, land reclamation and development, improved agricultural practices, and re-organized plant protection service, the set target will be achieved by the end of the Second Five-Year Plan.

The Kharif and Rabi campaigns organized in 1958-59 for the first time in the State on a mass scale have, with your co-operation and general public response, helped a good deal in an all-round increase not only in the production of foodgrains but also in commercial crops like jute and oil seeds. My Government has strongly felt the need for stimulating village leadership so that the campaign might not depend on officials only. Accordingly, an intensive programme for the training of 7 1/2 lakhs of Gram Sahayaks was organized and it is proposed to pursue it with even greater vigour and zeal in future with a much larger number of Gram Sahayaks. It is expected that with the interest the famers are taking, there will be considerable improvement in food production and village economy.

The various schemes for the development of livestock such as their protection against contagious diseases, improvement in breeding and nutrition and also for the improvement of sheep and wool industry, the development of poultry farming pisciculture and horticulture, launched by the Governement in order to raise the rural economy and increase alternative food, are progressing well and are being intensified further. To give a further impetus to such schemes, the Uttar Pradesh Veterinary College, Mathura, is intended to be upgraded into a regional centre of Post-Graduate Education so as to cater for the need of higher supervisory personnel of the State as also of other adjoining States, falling in the Northern region of the country. The proposed scheme envisages admission of 40 students every year to the M. V. Sc. (Master of Veterinary Science) Course, of whom 20 will be the nominees of the Government of India.

In the field of irrigation, which plays an important and a major role in the development of agriculture, our activities are proceeding according to schedule. Most of the projects of the First Five-Year Plan have been brought into operation and good progress has been made on the construction of new Projects taken up in the Second Five-Year Plan. While it is expected that Dohri Ghat Pumped Canal will run with full discharge from the next financial year, the Tanda Pumped Canal is expected to run with full discharge by May, 1961. Of the new schemes in the Second Five-Year Plan, Ohen Dam, Kwano Pumped Canal, Jirgo Dam and Upper Khajuri Project will be in partial operation by Rabi, 1960. A number of Minor Irrigation Schemes including 670 tube-wells are also expected to be in operation by March, 1960. We are grateful to the Government of India for an extra allocation of Rupees two crores in this financial year for some Special Schemes in the backward areas of the State and we expect an equal amount next year as well. Out of this amount, a substantial portion has been earmarked for Minor Irrigation Schemes and drainage schemes. It is proposed to utilize this amount on the construction of a number of Minor Irrigation schemes in the Eastern U. P. Bundelkhand, Mirzapur and the Hill districts and on improving the drainage schemes mostly in the western districts of the State which, recent experience has shown, stand badly in need thereof.

Heavy rains and the resultant floods and water-logging in large areas of the State have been a serious problem. Flood works have already been constructed to protect an area of about 5,50,000 acres, and the protection works on the Ghats at Varanasi and the construction of embankments at some other places are well in progress. A master plan for the improvement of drainage by constructing 4,000 miles of drains, to protect an area of about eight lakh acres from water-logging is also under consideration of my Government.

The year that has passed was a period of considerable anxiety due to abnormal rise in prices of foodgrains. It is, however, gratifying to note that my Government with your co-operation and all-round efforts of the people of the State for increasing the food production and the help of the Central Government, has succeeded in controlling the situation. Besides, the various regulatory measures adopted by my Government and the release of large quantities of imported wheat and locally purchased foodgrains, through a net-work of fair price shops, have also been helpful in minimising the distress of our people which would, otherwise, have been more widespread. Further, as a first step towards the implementation of the decision of the National Development Council with regard to State trading in foodgrains, the purchases of rice and wheat are being made by the Government through a system of levy on licensed foodgrains-dealers and rice-millers. This will help greatly to maintain buffer stocks and to meet emergent needs in the State. By June 30, 1959, the total quantity of wheat and rice so procured, was 19,013 and 89,504 tons respectively besides 5,154 tons of Gram, Barley, etc. This scheme will, it is hoped, besides checking the tendency of hoarding on the part of foodgrain-dealers, help in maintaining a satisfactory price level, which will be fair both to the producer and the consumer. This will further minimise the disparity between the prices received by the producer and paid by the consumer.

In May last, it was observed that the prices of sugar in the market were going high. Immediately, my Government approached the Central Government for an *ad hoc* allotment of 3,050 tons of sugar for eight important towns of the State. The Provincial Co-operative Federation was appointed by the Government as its sole nominee for lifting the above allotment at ex-factory price. The said allotment was lifted by the Provincial Co-operative Federation and has been distributed through the fair price shops is these towns at Re.0-15-6 per seer. At the request of my Government, a second *ad hoc* allotment of about 5,000 tons of sugar was made by the Government of India for distribution in the above manner to 17 towns with a population of more than one lakh each. This *ad hoc* allotment is being distributed at Re.0-15-6 per seer to the consumers.

With the concurrence of the Government of India, my Government have now decided to extend the above Scheme to all towns with a population of 5,000 and above.

My Government have also licensed all sugar-dealers in the State under the Uttar Pradesh Sugar Dealers Licensing Order, 1959, issued recently. For subsequent arrangements, a detailed scheme has been prepared and submitted to the Government of India for their concurrence.

As regards building materials, there has been marked improvement in the supply and distribution of cement and dust coal ; but shortage of iron and steel continues in spite of the enhanced quotas fixed by the Government of India in the first quarter of 1959. The effect of the enhanced quotas in not likely to materialise before 1960. The housing situation in the State shows no signs of appreciable improvement and the life of the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947, was extended last year to another five years, i.e. till September 30, 1963. The working of the Act, however, has shown certain lacunae which it is proposed to remove by bringing a comprehensive Amending Bill before you soon.

As you know, the Second Five-Year Plan marked the beginning of a rapid expansion of the Co-operative movement in this State and in the recent years it has assumed greater importance in the various developmental

activities of this State. With a view to further accelerate the progress and the expansion of the Co-operative movement, a Land Mortgage Bank was established in March, 1959, which is a landmark in the history of co-operation in this State. The object of this Bank is to advance long-term loans for reclamation and permanent improvement of land, purchase of heavy implements, payment of old debts, etc. It is hoped that full advantage will be taken of this Scheme which will prove of great benefit to the cultivators. My Government is also considering the question of enabling Sirdars to obtain medium-term loans which they cannot easily obtain at present owing to their inability to mortgage their land.

The success of State trading in foodgrains depends to a certain extent on the establishment and development of marketing co-operatives. My Government has, therefore, decided that State trading shall be so organized as to develop the growth of co-operative marketing societies in this State.

The organization of quality co-operative farms is also receiving the attention of my Government. In addition, the establishment of Rural Co-operative Societies, the Labour Co-operatives, Primary Marketing Societies, the State Warehousing Corporation, Relief and Guarantee Fund, extension of co-operative technique to processing societies and expansion of the schemes for education and training of co-operators and co-operative staff, have given further impetus to the Co-operative movement in the State. An important resolution of the National Development Council implying that the Co-operatives should be organized on the basis of the village community and full responsibility and initiative should be placed with the village co-operatives and the village Panchayats for all social and economic development at the village level, has opened a new vista of activity in the field of Co-operative movement. My Government has accepted this policy decision and has decided to give highest priority to the intensive training of the extension workers in co-operation. Their primary duty will be to ensure that village agricultural programmes are executed through co-operative technique. Service co-operatives will also be set up throughout the State according to a phased programme spread over the next three or four years for the intensification of agricultural production through the preparation of agricultural plans, distribution of credit in cash and kind, provision of improved seed, agricultural implements and fertilizers and for taking up all such activities which are ancillary to agriculture.

With a view to meet the requirements of the new set-up and to remove the difficulties coming in the way of achieving the objectives now before us, my Government has decided not only to organize and strengthen the Co-operative Department and contribute in the management expenditure of the village societies where necessary, but also to take steps to revise the existing law on co-operation. The proposed law on the subject will, when enacted, simplify the procedure, enable a much larger number than at present to avail themselves the available credit facitlities, and relax official control over the societies. My Government is of the view that while the proposed law may provide for sufficiently large powers of supervision and inspection to the Registrar of Co-operative Societies it should curtail the control of the government servants as such, over the day-to-day working or management of the Co-operatives. It is proposed to introduce a Bill on this subject in the present session of the Legislature.

In the field of land reforms, the silent revolution, which commenced with the passing of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act,

1950, has succeeded in eliminating the intermediaries and in establishing the tillers of the land on the soil and also in bringing uniformity in land tenure in the whole of the State except in Jaunsar Bawar and the Kumaun regions. Considerable progress has since been made in this direction in the Jaunsar Bawar area also, and for Kumaun, the Kumaun Zamindari Abolition and Land Reforms Bill is already pending before the Legislative Assembly. Besides, work under the Scheme of Consolidation of Holdings, another important step taken by my Government, continues to make steady progress and it is proposed to extend this Scheme to nine new districts this year. A scheme for the correction of land revenue demands by tracing out omissions and rectifying inaccuracies in land records is also being implemented since April, this year. This scheme is expected to yield a net income of about Rs.2 crores non-recurring, besides adding permanently to the land revenue of the State without increasing the incidence of the assessment.

Having gone thus far in the sphere of land reforms, my Government has decided to take yet another revolutionary step by fixing ceilings on land holdings. It has tentatively been decided to fix the ceiling on the basis of fair average quality of land calculated to ensure a reasonable income to a family of five members making an additional provision for every additional member of the family up to eight members. The surplus land, which may thus be available, is proposed to be taken over by the Government on payment of reasonable compensation to the tenure-holders and made over for cultivation on certain conditions to co-operatives of landless labourers. With a view to implementing these decisions, it is proposed to introduce comprehensive legislation on the subject in this session of the Legislature.

You are aware that to overcome certain difficulties created in some areas in the State, particularly in the Tarai area, by the unauthorized occupation of land by certain persons including some displaced persons, the U. P. Government Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1953, was passed. On April 24, 1959, the Hon'ble High Court of Allahabad declared this Act *ultra vires* of Article 14 of the Constitution. My Government moved for special leave to appeal to the Supreme Court and for staying the operation of the judgement pending the decision of this appeal. These requests have been granted by the Hon'ble High Court. Even so the passing of this judgment had effect on subsequent decisions of the lower courts and immediate action had to be taken to save the situation. As the Legislature was not in session, I promulgated the Uttar Pradesh Public Land (Eviction and Recovery of Rent and Damages) Ordinance, 1959. A Bill to replace this Ordinance by an Act will soon be presented before you.

Before the enactment of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the erstwhile jamindars, in order to escape from the consequences of vesting, executed leases of considerable forest areas. On the strength of the leases so made, interested persons began to clear off such forests leading to national loss and reduction of forest area which in our State is already smaller than the minimum necessary. The preservation of a certain proportion of forest areas is absolutely necessary for the overall economic stability of the State. The amendment of the Indian Forest Act in 1956 could not bring about the desired effect as the State Government were not enabled to ensure fresh plantation for purposes of afforestation or proper maintenance and development of the existing forests. With a view to secure such powers, a Bill known as the "Indian Forest (U. P. Amendment) Bill, 1959" is proposed to be introduced in the Legislature in this session, if possible.

Some inhabitants of the Hill areas of Kumaun have been representing to my Government individually and through some Members of the Legis-

lature, in respect of their difficulties regarding the facilities enjoyed by them from the forests. My Government have, therefore, appointed a Committee of five Members of the Legislature under the chairmanship of Sri Baldeo Singh Arya, Upa Mantri, to investigate into these grievances of the people of this area. The Committee was appointed in April, 1959 and is expected to submit its report and recommendations to Government within four months.

For an all-round development of the State economy and with a view to relieve pressure on agricultural land in the State, it is very necessary to step up industrialization of the State. I am glad, my Government is fully alive to this need and has decided upon the development of industries on co-operative lines as one of the means to solve the problem. It has accordingly been decided to give assistance on liberal scale to industrial co-operatives formed in the sector of village industries and handicrafts.

Besides re-organizing Directorate of Industries on a Zonal pattern so as to ensure expeditious promotion and implementation of various industrial programmes, as also the disbursement of larger amounts under the Government's loans and grants scheme, my Government proposes to utilize the recently constituted Uttar Pradesh Small Industries Corporation for the supply of raw materials to small-scale enterpreneurs and for marketing of their products in collaboration with the National Small Inudstries Corporation. It is also proposed to complete the industrial survey of the districts which will not only accelerate the progress of Industrialization in this State but also be of assistance in future planning. The setting up of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Statutory Board, in order to associate non-officials more closely with the development of village industries, is under the consideration of my Government and it is proposed to bring, in due course, a legislation for the purpose.

In the sphere to bigger industries, our schemes for the expansion of the two State undertakings, viz, the Government Cement Factory, Churk and the Government Precision Instruments Factory, Lucknow, have made considerable headway and, in the private sector, licences have been granted for the setting up of industries for the manufacture of straw-board and paper, wrapping paper, coloured glassware, miniature bulbs, transformers, rayon filaments, soda ash-cum-ammonium chloride and certain other articles. Plans for setting up at Rihand site an Aluminium Factory in the private Sector in collaboration with a foreign firm are being finalized. The establishment of this factory will not only result in substantial saving in foreign exchange but it will also provide additional employment potential as also help in the establishment of some important subsidiary industries such as aluminium bus body buildings, aircraft construction, aluminium conductors, sheets, foils, paints, etc.

The position of the Textile Industry in the State was a cause for concern to my Government and adequate attention was paid to it. Investigations were conducted into the affairs of the Textile Mill of Messrs. Atherton West and Co., Ltd., Kanpur, which is lying closed due to heavy accumulation of stocks and financial difficulties and as a result of such investigations, the State Government have decided, in consultation with the Government of India, to restart this Mill with the help of an authorized controller appointed under the Industries (Development and Regulation) Act. It is expected that this Unit will go into production shortly.

The success of industrial advancement of the State, which is the growing need of the hour and to which my Government is fully alive, depends to a great extent on industrial peace and contented labour. I am glad

to say that the various efforts of my Government through the labour welfare schemes, conciliation machinery and Industrial Tribunals are bearing fruit and we should feel proud of the prevailing industrial peace and of the role the labour has played in increasing the industrial production.

With a view to further improving the industrial relations between the employers and the employees, as also to remove the difficulties coming in the way of maintenance of good relations, my Government proposes to bring before the Legislature, as soon as possible, a Bill to further amend the U. P. Idustrial Disputes Act, 1947.

I shall perhaps be expressing my own as well as your sincere feelings when I congratulate my Government for taking a unique and bold decision to form Work Councils in Government-owned undertakings and those under the Co-operative management employing more than 100 workmen, in order to associate the workmen with the management of those undertakings. So far, action has been completed for the formation of Work Councils in 21 State Undertakings and 5 cc-operative institutions.

Worker's education for the healthy development of Trade Unions is necessary. A scheme in this connexion was drawn up at the last Indian Labour Conference. I am glad to inform you that the Employers' Association of Northern India have agreed to implement this scheme during the current year. My Government is making arrangements for setting up a regional training institute at Kanpur for this purpose.

The need for providing employment to the unemployed is well known and the 36 Employment Exchanges functioning in the State are doing useful service in this direction. It has been decided by my Government to open in the current financial year six more District Employment Exchanges in addition to the two University Employment Bureaus already opened—one each at the Muslim University, Aligarh and the Banaras Hindu University, Varanasi. Besides, it is proposed to expand the activities in regard to imparting of industrial and other training by opening new training institutes and increasing the capacity in the existing ones. It is also proposed to open four more specialized Vocational Guidance and Employment Counselling Sections at Agra, Allahabad, Kanpur and Meerut Exchanges.

As you are aware, my Government have implemented the Prohibition Policy in some districts of the State. Complaints, however, continue to be received about illicit distillation and consumption of deleterious substances in these dry areas. My Government have, therefore, appoin'ed, a few months ago, a Committee under the chairmanship of Sri Ram Swarup Yadav, Upa Mantri, to examine this matter in details and advise the Government on the ways and means to combat these evils. The Committee will complete its deliberations and submit its report very shortly.

I am glad to note that besides taking vigorous steps to improve the medical facilities for the urban and rural population of our State, my Government have taken positive and effective steps towards the removal of epidemic diseases. The main epidemic diseases which used to trouble the State were small-pox, cholera and plague. This year, the incidence of small-pox has been very low due to intensive mass vaccination drive carried out last year and more strict enforcement of primary vaccination both in the rural and urban areas coupled with intensive health education drives inculcating in the masses the urgent necessity of primary vaccination and re-vaccination to keep them free from the visitation of this epidemic. The incidence of cholera including gastroen-teritis has also been very low this year due to the enforcement of immediate measures for mass inoculation whenever a suspected case of cholera or gastro-enteritis was reported, along

with disinfection of water-supply and isolation of cases, where possible. Emphasis was laid on the environmental sanitation measures also. There has been no case of plague.

The development of agriculture and industries cannot be achieved without increasing and developing the production of Power in the State. Naturally, my Government has given due priority to the development of power projects. Keen as my Government is to speed up the progress of the various projects set out in the Second Five-Year Plan so as to complete them by the stipulated time, if not well before it, it constituted in the beginning of the current financial year the U. P. State Electricity Board to which all State Electricity Undertakings (excluding Rihand) have been transferred. The Board has formulated a scheme for the reorganization of the erstwhile Electricity Department to ensure economy and improve efficiency. It has also purchased the private distributing undertaking known as the Upper Ganges Valley Electricity Supply Co., Ltd., covering the districts of Moradabad and Bijnor, on the expiry of the term of its licence on May 4, 1959. The work on the biggest project of our State, namely, the Rihand Project is proceeding according to schedule. The total firm capacity of the Rihand Project is expected to be 1,03,000 kW. at 100 per cent load factor. For the industrial development of the State and to increase the employment potential, my Government have decided to meet the power demand for the Aluminium Factory in the Rihand area and the pressing demand of the Railways for their traction programme and their Locomotive Component Factory at Moghalsarai. The needs of the Government Cement Factory, Churk and the commitment to Madhya Pradesh Government have also been kept in view. The needs and requirements of the eastern part of the State have not been lost sight of and there has been a practical approach towards the solution of the pending problems. Mau and Gorakhpur have now a 15,000 kW. Thermal Station each and the Sohawal Power Station has been expanded to produce 19,500 kw. When the Rihand Project is in operation, the inter-linking of these eastern area power stations with the Rihand System will enable additional power of about 45,000 kW. to be made available by inter-change of power between the Rihand System and the eastern area power stations. This work of inter-linking is being taken in hand.

A Thermal Power Station of 1,80,000 kW. genrerating capacity for supply of power to the eastern U. P. will be set up at some suitable site, preferably Moghalsarai. On the advice of the Central Water and Power Commission, the Ministry of Irrigation and Power have approached the Planning Commission and the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, seeking authorization to do preliminary work in respect of this project during the Second Five-Year Plan, thereby curtailing the time required in establishing this power station, and it may be possible to make power available from this station sometime in 1963.

Steps have also been taken to complete as early as possible the investigations and survey of another Hydel Project near Obra, about 23 miles downstream from Rihand. When completed, this project will have an installed capacity of 40,000 kW. and a firm capacity of about 25,000 kW.

The development of load is usually a slow process. Considerable investment is needed and machinery, etc. have to be collected or imported. My Government is confident that as the load in these areas develops, there will be adequate sources of supply to meet the load.

The shortage of foreign exhcange continues to hamper the progress of the 60,000 kW. addition to the Steam Station at Harduaganj near Aligarh, The Government of India have been approached for help. When completed

this project is expected to meet at least a big part of the additional load demand in the western districts of the State. To meet the urgent demand for power at Naini and Varanasi, the Government have given certain diesel sets on hire to Messrs. Martin Burn Ltd. Control on the distribution of electricity in the a ea of supply of Messrs. Martin Burn Ltd. in the districts of Allahabad, Agra and Varanasi continues, due to heavy demand and short supply. While in the case of Agra, the position is expected to be easy by 1960 when the additional power plant ordered by the said Company is likely to arrive. In the case of Allahabad and Varanasi, however it may take a few years more as due to shortage of foreign exchange the Company has not been able to place an order for additional plants.

The Finance Minister in his budget speech in the last session had announced the decision of Government to exempt the industrial consumers from the payment of Electricity Duty and with that end in view my Government has decided to amend the U. P. Electricity (Duty) Act, 1952 and give the announced relief from April 1, 1959. As the matter was of some urgency and the Legislature was not in session, I have promulgated an Ordinance to give effect to this decision. The necessary Bill to replace this Ordinance by an Act will soon be introduced in this session.

The development of transport facilities is an essential fore-runner to any planned development of any State. Accordingly, the Plans have attached due importance to the development of roads, construction of bridges and improvement of transport. This State had at the close of the First Five-Year Plan in March, 1956, 9,904 miles of metalled roads and 2,910 miles of unmetalled roads under the charge of the Sarvajanik Nirman Vibhag. It is expected that by the end of the Second Five-Year Plan, the metalled road mileage will be increased to 14,954 miles. A total number of 17 bridges of all types under various schemes have been completed and work on 11 bridges is likely to be completed soon. Fourteen more bridges are also expected to be completed during the current financial year.

The State Government had under their consideration the question of introducing an internal concurrent and continuous administrative and technical audit of the State Public Works Department with a view to securing good quality in works and economy in expenditure and for ensuring better technical and financial control of the works in that Department. Government have, accordingly, created a cell in the Public Works Department with a Chief Technical Examiner assisted by Technical Examiners and other necessary staff.

As you all know, this State had, several years ago, embarked upon the policy of progressive nationalization of Transport undertakings and the Government Roadways have been showing an all-round improvement in their working and organization. Reciprocal arrangements for the operation of inter-State routes have also been made with the neighbouring States of Delhi, Punjab, Rajasthan and Madhya Pradesh. At the same time, with a view to meet the gowing requirements of goods and passenger traffic, my Government is following a liberal policy in the issue of permits to private operators on the available routes. My Government have also decided to issue, as soon as possible, to all our members of the Legislature, free personal passes for travelling on the Government Roadways Buses in the State. The details in this connexion are being worked out.

The greatness of a country lies in the intellectual and moral development of its people and this can be achieved through proper education.

Undoubtedly, therefore, education has its pride of place in all the social services rendered by the State. This State has the largest number of Universities. Varanaseya Sanskrit Vishvavidalaya was established last year and another University, viz. the Agricutltural University in the Tarai is being established soon. You have already enacted the necessary law for the purpose. Necessary arrangements for the establishment of this University on the lines of the Land Grant Colleges in U. S. A. are being made with the assistance of the Government of India. This University will have a College of Agriculture, a College of Veterinary Medicines, a College of Agricultural Engineering and Technology, a College of Home Science and a College of Science. It is hoped that the first three of these Colleges will start funcioning under common administration within the same campus from July, 1960. The establishment of this University will, it is hoped, not only help in furthering the cause of higher education in agriculture but will open a new chapter in the history of agricultural education of this State. Besides, the University of Roorkee, which is yet another pioneer institution of our State, has shown all-round progress. A post-graduate course in Photogrammetric Engineering was added to the existing eight courses and it is proposed to establish, with the approval of the University Grants Commission full fledged departments of Physics, Chemistry, Mathematics and Geology from the next academic session beginning from the first September. Proposals for changing the duration of the degree cousrse at Roorkee from three to four years and for the establishment of an Engineering College at Allahabad are also under the consideration of my Government. It has also been decided that a Regional Institute of Technology should be set up at Kanpur with the assistance of the Government of India. It is expected that it will start functioning from July, 1960.

Practical difficulties were experienced in the actual working of the various Universitities according to the provisions of the Acts and the Statutes made thereunder It has also been considered necessary to place immediately a check on the growing tendency of the University authorities to increase their indebtedness. As the need was immediate and the Legislature was not in session, I promulgated the Uttar Pradesh Univiersities Ordinance, 1959. A Bill to replace this Ordinance will be placed before you for consideration and enactment at an early date.

As you are aware, the proposal of the Planning Commission for the Second Five-Year Plan, as accepted by Parliament, stressed the need for creating in each district a well organized democratic structure of administration with which the village panchayats were to be organically linked. The Balwant Rai Mehta Committee also made its recommendations regarding democractic decen tralization. With this end in view, my Government, as you are aware, dissolved the District Boards, last year and replaced them by Antarim Zila Parishads to function as interim bodies till the formation of Zila Parishads after the necessary enactment o a law. My Government have given considerable thought to this matter and have arrived at certain decisions which have been given shape in the form of the U. P. Zila Parishad Bill which will shortly be introduced in the Legislature.

The function of the Zila Parishad will be to take over all those functions which were being performed by the erstwhile District Boards and are at present being performed by the Antarim Zila Parishads, with widened powers to control and regulate the building activities, health and sanitation programmes, etc. ; to take action necessary for or incidental to the imple-

mentation of the plan in the district; to excrcise supervision over town area Committees and Gaon Sabhas and to approve and sanction the tax proposals and bye-laws of the Gaon Sabhas within the district. It is also proposed to have an enabling provision for transfer, in future, to the Zila Parishads such other functions of the Government Departments at district level, as the State Government may decide.

As you are already aware, the elections to constitute the Nagar Mahapalikas in five KAVAL towns were to be held in June-July this year, but they had to be postponed to October-November on the demand of the public and the various political parties. A Bill to amend the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, for certain purposes is already pending before the Legislative Assembly after having been passed by the Legislative Council. You will be required to pass that Bill in this session.

My Government have had under their consideration a scheme for the abolition of rickshaw-pulling by man-power in plains and have framed model bye-laws, which have been circulated to the Municipalities for adoption. With the coming into force of these bye-laws, no new licences for rickshaws will be issued and the number of existing licences of rickshaws will be reduced by ten per cent every year with the result that after ten years the phased programme of gradual abolition of rickshaw-pulling will have been completed.

The problem of clearance of slums in the bigger towns of the State, with the provision for the rehabilitation of the slumdwellers, has also been engaging the attention of my Government and a beginning has already been made by introducing Slum Clearance Schemes, sponsored by the Government of India, in the KAVAL towns. With a view, however, to save the slum-dwellers from avoidable hardship and harassment and to ensure speedy acquisition of slum sites at reasonable cost, it is proposed to place a Bill before you for consideration in this session of the Legislature.

The various steps taken by my Government to clear the arrears and to minimize delays in the disposal of cases in courts, it is gratifying to note, are bearing fruit. The position of the writ work and the criminal work in the High Court is much better now. Several administrative steps have also been taken to streamline the system of administration of justice in the State. A high level committee, appointed under the chairmanship of the Hon'ble Mr. Justice B. Mukerji, to go into the causes of delay, harassment and corruption in all the courts up to district level and to suggest comprehensive reforms, checks and safeguards to avoid delay and harassment and root out corruption, is busy with its deliberations.

An important pre-requisite for any developmental activity is the maintenance of peaceful condition and stability in the law and order position. I am glad that the law and order situation in the State continues to be satisfactory although occasionally during the last year we had to face some anxious moments due to some agitations, Satyagrahas and strikes. My Government has not only been able to keep the situation well under control, but has been successful in securing a marked decrease in the incidence of dacoity by exterminating several notorious dacoits including Sanwal Singh and Jahan Singh. The Government, besides taking steps to further improve the working of the various sections of the Police Department, has also widened the scope of its Complaints Scheme so as to enable other departments of the State Government to take full advantage of this organization to eradicate corruption and complaints. Great emphasis continues to be laid on the improvement of police-cum-public relations.

You are aware that since we achieved Independence, there has been in this State considerable progress in almost all the branches of the admin s-tration and there has been rapid development in many spheres of the State's economy. This has been accompanied by a sizeable growth in the State's population with additional impact from a considerable influx of displaced persons as a result of the partition of the Country. This increase in both rural and urban communities has imposed an increasing burden on the Police Force. On the other hand, there has been little tangible increase in the size of the Force during the last ten years or so. My Government has been giving considerable thought to the need for reorganization of the Police Force in order to make it a more effective instrument for the service of the people. It is felt that the time has now come to examine carefully, and on the basis of specific criteria, what increases in the strength of this Force are required to enables it to fulfil its basic purpose of providing proper safety and security to the people. Side by side with this, there are numerous other problems connected with the Police Force which need careful consideration. For several years, my Government has promoted measures to improve police morale, behaviour, out-look and responsiveness to the needs of the people. It is time to assess the tangible results that these efforts have produced and to make suitable adjustments and modifications for the future. In this connection it may also be necessary to review our programmes for recruitment, training and disciplinary control and to consider the need or desirability of a clearer demarcation between the agencies for investigation, prosecution, and the maintenance of order and prevention of crime; also to devise measures whereby greater public co-operation to the police may be secured. Nor must we overlook the importance of providing conditions of service and amenities which will keep the Force contented and happy. To make this assessment, and to examine these questions, my Government has under consideration a proposal to set up a Police Commission consisting of prominent non-officials and some officials. This Commission will be expected to examine all these matters in detail, and after scrutinizing the facts and the evidence available, to make specific recommendations to the Government. In 1948, a committee headed by Dr. Sita Ram submitted a report on Police Reorganization which was found to be very useful. Many of the recommendations of this Committee have been implemented by the Government. Since then, however, great experience has been gained in the functioning of Government in a parliamentary and democratic set-up, and it is clear that the time is now appropriate for making a re-appriasal of the situation.

I feel very happy to note that my Government have been devoting considerable time and attention towards making the administration more efficient and economical. Suitable instructions have been sent out to the government servants from time to time regarding their official conduct and behaviour towards the people and their representatives. Emphasis has been laid on the integrity, independence and impartiality of the government servants, on the removal of corrupt practices and on the need for quick and prompt disposal of work. The strength of staff at various levels beginning from the top has been subjected to careful scrutiny, as a result of which several posts have been abolished or held in abeyance, leading to considerable economy in the cost of Administration. Various other measures have also been adopted for promoting healthy traditions, and bringing about satisfaction and contentment in the various cadres of government servants in order to enable them to become more useful public servants. The scheme

of the Organization and Methods Division has been started in the Secretariat which enables various Officers to pay greater attention to the day-to-day matters of Administration and procedure for bringing about greater efficiency and economy. The scheme for a large-scale delegation of financial and administrative powers to lower formations is also under active consideration.

Government had originally in 1947, made a reservation of ten per cent vacancies occurring in various State Services for the members of the Scheduled Castes. Subsequently, in 1953, this reservation was raised to 18 per cent. There has been a feeling, and rightly so, that the recruitment of Scheduled Caste candidates against the reserved posts both within the purview of the Commission and without, has not been possible to the extent necessary. While age exemptions in respect of this class of candidates have been given from time to time and orders regarding the lowering of standards in their cases have also been passed on several occasions, it has still been found that the representation has not been as desired and, therefore, my Government has decided to appoint a Committee to look into the cuases of this poor representation and to suggest ways and means for removing the deficiency.

This Committee will be presided over by a Member of the Public-Service Commission (Sri Radha Krishna Agarwal and will have four official members including two Harijan officers and four non-official members. It will be requested to submit its report within a period of six months.

Last year, you enacted the U. P. Court Fees (Second Amendment) Act, 1958, with a veiw to enhance the rate of court fees chargeable on writ petitions. The Hon'ble High Court at Allahabad, however, held that such a provision was *ultra vires* of the State Legislature on the ground that writ petitions are not entertained by the High Court in the exercise of their "extraordinary original civil jurisdiction", but under their "ordinary original civil jurisdiction". While a special appeal against this judgment is being filed, it was decided in the meantime to get over the difficulty created by it, by further amending the law. As the need was immediate and the Legislature had already approved the principle underlying the said amendment, I promulgated the Court Fees (U. P. Amendment) Ordinance, 1959. A Bill to replace this Ordinance will be introduced soon for your consideration.

I have given you some idea of the important legislative measures, which you may be required to consider during this session. There may be some other legislative business, such as the consideration of the U. P. Highways Bill, 1959, the U. P. Muslim Waqfs Bill, 1959, the U. P. Panchayat Raj (Amendment) Bill, 1959 and Northern India Ferries (U. P. Amendment) Bill, 1959.

Before I conclude may I remind you that democracy in our Country is still in its infancy and its future depends to a very large extent on what you do here and how you conduct yourselves outside the Houses. You are the chosen representatives of the people, who have very high expectations from you. By your work and conduct you will be setting up examples for the others to follow and it is, therefore, important to think carefully what those examples are going to be. Your time and the time of Houses is valuable. Considerable dignity and sanctity attaches to these Houses. May I, therefore, hope that at all times you will maintain and help to maintain that high dignity the Houses, strengthen democratic conventions both indside and outside the Houses and do nothing which may not be in the interest of those whom you represent. I have the fullest confidence that

your deliberations will always be marked by such sobriety, farsightedness, selfless enthusiasm and devotion to public duty as are required for the betterment of our people, national solidarity and the stability of our State and the country. To your efforts in this direction, I add my prayer that God may give you sufficient strength and courage to prove equal to the important tasks that lie ahead of you.

JAI HIND

†विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति तथा विधान मंडल के सदस्यगण,

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

विधान मंडल के समवेत सत्र में दोनों सदनों के समक्ष भाषण करने से पूर्व माननीय सदस्यों को हिन्दी में संबोधित करने के संबंध में मैं उनकी संतुष्टि के लिये अपनी बात बतलाना चाहता हूं। मैं इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गत समवेत सत्र में मैंने कहा था कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसका दृढ़ मत है कि अन्त में हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी होगी और इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। यह मेरे लिये सर्वथा असंभव है कि मैं हिन्दी में भाषण करूं, क्योंकि मुझे इसका अभ्यास नहीं है, चाहे मैं उन लोगों की इच्छापूर्ति के लिये कितना भी प्रयत्न करूं जो लोग हिन्दी के प्रबल समर्थक हैं, अतः मेरा निवेदन है कि वे लोग मेरी सद्भावना का आदर करेंगे।

मैं उन लोगों के विचारों से सहमत नहीं हूं जिनका कहना है कि मुझे सदन में तामिल या तेलगू में भाषण करना चाहिये, जिनको यहां कोई भी समझ नहीं सकता है, अतः मेरे लिये केवल एक ही मार्ग रह जाता है कि मैं अंग्रेजी में भाषण करूं और साधारणतः अंग्रेजी को ही सदन के अधिकांश सदस्य समझ सकते हैं।

तथापि इस बात का विश्वास करके कि सदस्य मेरे भाषण को समझ सकें मैंने अधिकारियों से कहा कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सदन के प्रत्येक सदस्य के हाथ में मेरे भाषण की हिन्दी प्रति भी हो। केवल यही नहीं, यदि सदन की ऐसी इच्छा हो तो मेरे भाषण के अन्त में तुरन्त माननीय अध्यक्ष मेरे भाषण को हिन्दी में पढ़ने का कष्ट भी करेंगे। इन परिस्थितियों के होते हुए मुझे आशा है कि यदि इस संबंध में कुछ सदस्यों की इच्छा की पूर्ति करने में मैं असमर्थ रहा तो वे मुझे क्षमा करेंगे। किन्तु तिस पर भी उन्होंने जिस स्थिति का अवलम्बन किया है, वह स्तुत्य है।

पिछले वर्ष २१ जुलाई को पहली बार मुझे आपको सम्बोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज फिर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

हम बड़े महत्वपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। हमारे चारों ओर देश तथा विदेश में बड़े महत्वपूर्ण एवं अभिव्यंजक परिवर्तन हो रहे हैं। पं० जवाहर लाल नेहरू के कुशल संचालन में हमारे देश के नेतृवर्ग ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें यश, मान्यता तथा सम्मान दिलाया और अपने लिये जनता के हृदय में आदर तथा स्नेह का स्थान बना लिया है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विषयों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, फिर भी आज संसार में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हम निरपेक्ष नहीं रह सकते। जेनेवा वार्ता का परिणाम भविष्य में संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच शांति तथा अनुकूल संबंध कायम रखने के लिये काफी महत्वपूर्ण होगा। इस वार्ता के फलस्वरूप शिखर सम्मेलन की भी संभावना है। हमारे दृष्टिकोण तथा नीतियों को अधिकतर देशों में लोग अधिक समझते और करते जा रहे हैं। तिब्बत की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने, जिनके

† अंग्रेजी से अनूदित।

कारण दलाई लामा को मंसूरी में शरण लेनी पड़ी, स्वभावतः हमें गम्भीर विचार के लिये प्रेरित किया। नैपाल में सफल आम चुनाव के बाद वहां पहली लोकप्रिय तथा निर्वाचित सरकार बनने और नया संविधान प्रख्यापित होने से हमें प्रसन्नता और संतोष हुआ। दूसरी ओर कुछ अन्य देशों में सैनिक तानाशाही कायम होने से लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संवैधानिक उपायों में दृढ़ विश्वास रखने वाले हम सब लोगों को चिन्ता हुई। इससे एक प्रकार से हमें उन खतरों के प्रति भी सचेत हो जाना चाहिये जो किसी भी ऐसे देश के सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं जहां लोकतांत्रिक सिद्धांतों और परम्पराओं की महत्ता पूर्णरूप से समझी और स्वीकार नहीं की जाती।

हम द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के चौथे वर्ष से गुजर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस आयोजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के सरकारी कार्य आते हैं और इसमें पंचवर्षीय आधार पर क्रमिक तथा समन्वित विकास कार्यक्रमों की योजनायें सम्मिलित हैं। सब बातों को देखते हुए इन योजनाओं की प्रगति संतोषजनक प्रतीत होती है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते समय वित्त-मंत्री आपके सामने मेरी सरकार के विगत वर्षों के कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण रख चुके हैं और यह भी संक्षेपतः प्रकट कर चुके हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में कौन से कार्य करने का विचार है। आपको बजट-संबंधी प्रस्तावों तथा विचार-विमर्शों और समय-समय पर आपको दी गई विभिन्न विभागीय रिपोर्टों के द्वारा इन कार्यों के बारे में जानने का पर्याप्त अवसर मिला है। इस प्रकार जो कुछ आपके सामने रखा जा चुका है और जिस पर आप विचार-विमर्श कर चुके हैं उसे फिर से दोहरा कर मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं आपके समक्ष केवल अपनी सरकार के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों तथा कतिपय महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख करूंगा, जो मेरी सरकार समाज का समाजवादी ढांचा कयम करने के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये अपनाने जा रही है। मैं आपको विधायन-संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से भी अवगत कराऊंगा, जिनका उक्त नीतियों की पूर्ति के लिये इस सत्र में निष्पादन करने को आपसे कहा जा सकता है। इसलिये, यदि सरकार की किसी भी शाखा के कार्यों का उल्लेख रह जाय तो उसे इसी दृष्टिकोण से समझना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित योजनाओं की सामान्यतया संतोषजनक प्रगति के बारे में मैं कह चुका हूं। भविष्यलक्षी आयोजन के विचार तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) तथा आयोजना आयोग (Planning Commission) के निदेशों के अनुसार तृतीय पंचवर्षीय आयोजना तैयार करने के संबंध में विचार आरम्भ हो चुका है। विभिन्न अध्ययन-गोष्ठियां बनाई जा चुकी हैं और उपलभ्य प्रतिभा तथा अनुभव का उपयोग करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस विचार-विमर्श का परिणाम उपयुक्त समय पर आपके समक्ष आयेगा ही। मेरी सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करने की ओर काफी ध्यान दिया है, जैसे विकास प्रशासन के लोक-तांत्रिक विकेंद्रीकरण, जोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण, राज्य द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार तथा मानवीय कार्यकलापों की सभी शाखाओं में सहकारी प्रणाली के अधिकाधिक प्रयोग पर। मैं इन विषयों का आगे फिर उल्लेख करूंगा।

यह बात अब निर्विवाद है कि सामुदायिक विकास संगठन में हम जनता और सरकार के संयुक्त प्रयत्न से जनता को काम करने के तरीके समझाकर तथा उन्हें अपने भाग्य का निर्माण करने के साधन सुलभ कराकर एक महान् प्रयोग कर रहे हैं। इस कार्य में कठिनाइयां तथा त्रुटियां होने पर भी यह मानना पड़ेगा कि इसमें सामान्यतया काफी प्रगति हुई है। इन कार्य-क्रमों में जनता का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं। राज्य भर में सामुदायिक विकास खंड मूल लक्ष्य के अनुसार १९६१ तक कायम न होकर, अब १९६३ तक कायम होंगे। इससे हम वर्तमान विकास खंडों की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे। यह आशा की जाती है कि इस वर्ष अक्तूबर तक राज्य के कुल क्षेत्रफल के ५२.६ प्रतिशत भाग में तथा उसकी कुल जनसंख्या के ४६.१ प्रतिशत या

उसके गांवों की कुल जनसंख्या के ५३.४ प्रतिशत के लिये सामुदायिक विकास खंड अपनी विभिन्न अवस्थाओं में कायम हो जायेंगे। जैसाकि आपके सम्मुख दिये गये अपने पिछले अभिभाषण में मैंने बताया था, मेरी सरकार ने श्री गोविन्द सहाय, एम०एल०ए० के सभापतित्व में एक मूल्यांकन तथा जन-सहयोग समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बहुमूल्य सिफारिशों से इस कार्यक्रम की प्रगति और तीव्र हो जायगी।

जैसा कि पहले भी कई बार कहा जा चुका है, कृषि को, जो इस राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है, पहले की तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक अतिरिक्त खाद्य-उत्पादन का लक्ष्य २४ लाख टन निश्चित किया गया है। मेरी सरकार को यह आशा है कि सामान्य परिस्थितियों में, अर्थात् यदि वर्षा समय पर हो और कोई आपदा न आये, सिंचाई की बड़ी और छोटी परियोजनायें समयानुसार कार्यान्वित हो जायं, उर्वरकों और खादों का पहले से अधिक उपयोग किया जाय, उन्नत बीज की आपूर्ति के कार्यक्रम अपनाये जायं, भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय और उसका विकास किया जाय, कृषि के उन्नत तरीके अपनाये जायं और पुनर्संघटित पौधा-संरक्षण-सेवा उपलब्ध हो, तो द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो जायगी।

पहली बार १९५८–५९ में इस राज्य में बड़े पैमाने पर खरीफ और रबी-अभियान संगठित किये गये थे। उनमें आपके सहयोग और जनता के योगदान से खाद्यान्नों के उत्पादन में ही नहीं अपितु पटसन और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी चतुर्दिक वृद्धि करने में पर्याप्त सहायता मिली है। मेरी सरकार गांवों के लोगों में नेतृत्व की भावना प्रोत्साहित करने की आवश्यकता अनुभव करती है, जिससे कि यह अभियान केवल राज-कर्मचारियों पर ही निर्भर न रहे। तदनुसार साढ़े सात लाख ग्राम सहायकों के प्रशिक्षण के लिये एक प्रगाढ़ कार्यक्रम आयोजित किया गया था और भविष्य में उसे और अधिक शक्ति तथा उत्साह से चालू रखने का विचार है जिससे कि और अधिक संख्या में ग्राम सहायक प्रशिक्षित किये जा सकें। इसमें किसानों की दिलचस्पी को देखते हुए यह आशा की जाती है कि खाद्य-उत्पादन और गांवों की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा।

गांवों की अर्थव्यवस्था सुधारने तथा वैकल्पिक खाद्य-पदार्थों की वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने पशुधन-विकास के लिये विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की हैं—जैसे, सांसर्गिक रोगों से पशुओं के बचाव, प्रजनन और पोषक तत्वों में सुधार, भेड़ तथा ऊन के उद्योग की उन्नति तथा कुक्कुट-पालन, मत्स्य संवर्धन और बागवानी के विकास की योजनायें। इनकी प्रगति बड़ी अच्छी है तथा उसे और तेज किया जा रहा है। इन योजनाओं को अधिक तेजी से चलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा महाविद्यालय (U. P. Veterinary College) मथुरा को बढ़ाकर स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रादेशिक केन्द्र बनाने का विचार है, जिससे कि वह इस राज्य की तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित अन्य संलग्न राज्यों की उच्च पर्यवेक्षक कर्मचारिवर्ग की आवश्यकता को पूरा कर सके। प्रस्तावित योजना के अनुसार एम०बी०एस०सी० (पशु-चिकित्सा विज्ञान में मास्टर की डिग्री) के पाठ्यक्रम के लिये प्रतिवर्ष ४० विद्यार्थी भर्ती किये जायेंगे, जिनमें से २० विद्यार्थी भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

सिंचाई का कृषि के विकास के लिये बड़ा महत्व होता है। इस क्षेत्र में हमारी कार्यवाहियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की अधिकांश परियोजनायें कार्यान्वित कर दी गई हैं और द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के दौरान में प्रारम्भ की गई नई परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। यह आशा की जाती है कि दोहरीघाट पंप नहर आगामी वित्तीय वर्ष से और टांडा पम्प नहर मई, १९६१ तक पूर्ण प्रवाह से बहने लगेगी। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की नई योजनाओं में से ओहेन बांध, क्वानों पम्प नहर, जिर्गो बांध और ऊपरी खजुरी परियोजना रबी १९६० तक आंशिक रूप से चालू हो जायंगी।

यह भी आशा है कि सिंचाई की कई छोटी योजनायें, जिनमें ६७० नलकूप भी हैं, मार्च, १९६० तक चालू हो जायंगी। राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों में कतिपय विशिष्ट योजनाओं के लिये भारत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देना स्वीकार किया है, जिसके लिये हम उसके कृतज्ञ हैं। आगामी वर्ष भी हम इतनी ही धनराशि की आशा करते हैं। उक्त धनराशि का पर्याप्त भाग सिंचाई की छोटी योजनाओं और पानी की निकासी की योजनाओं के लिये निर्धारित कर दिया गया है। इस धनराशि को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड, मिर्जापुर और पर्वतीय जिलों में सिंचाई की कई छोटी योजनाओं के सम्पादित करने में तथा राज्य में, अधिकतर पश्चिमी जिलों में, पानी की निकासी की योजनाओं के सुधार में लगाने का विचार है। हाल के अनुभव से यह विदित हुआ है कि इस प्रकार के सुधार की वहां अत्यन्त आवश्यकता है।

राज्य के बड़े क्षेत्र में अधिक वर्षा होना और उसके फलस्वरूप बाढ़ आ जाना तथा पानी का रुककर इकट्ठा हो जाना गम्भीर समस्याएं हो रही हैं। लगभग ५,५०,००० एकड़ क्षेत्र के बाढ़ से बचाव के लिये निर्माण-कार्य किये जा चुके हैं। वाराणसी के घाटों पर सुरक्षार्थ निर्माण-कार्यों में तथा कुछ अन्य स्थानों पर बांधों के निर्माण में अच्छी प्रगति हो रही है। लगभग ८ लाख एकड़ क्षेत्र को पानी के इकट्ठा हो जाने से बचाने के लिये ४,००० मील लम्बी नालियां बना कर पानी की निकासी में सुधार करने के निमित्त एक महायोजना पर मेरी सरकार विचार कर रही है।

पिछला वर्ष खाद्यान्नों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के कारण काफी चिन्ताजनक रहा। फिर भी यह संतोष की बात है कि आपके सहयोग से तथा खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त राज्य की जनता के सर्वाङ्गीण प्रयास और केंद्रीय सरकार की सहायता से मेरी सरकार को स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा किये गये विभिन्न विनियामक उपायों से तथा आयात किये गये गेहूं एवं यहीं खरीदे गये खाद्यान्नों के बड़ी मात्रा में सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से उपलभ्य कराये जाने से भी जनता का कष्ट कम करने में सहायता मिली है। यदि ऐसा न किया जाता तो यह कष्ट और भी व्यापक होता। इसके अलावा खाद्यान्नों के व्यापार के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये राज्य द्वारा पहला कदम यह उठाया गया है कि सरकार लाइसेंस प्राप्त खाद्यान्न व्यापारियों तथा धान कूटने वालों से उगाही की प्रणाली के अनुसार चावल और गेहूं की खरीद कर रही है। आपत्ति को रोकने के लिये संग्रह बनाये रखने और राज्य में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। इस प्रकार ३० जून, १९५९ तक कुल १९,०१३ टन गेहूं, ८९,५०४ टन चावल तथा ५,१५४ टन चना, जौ आदि प्राप्त किये जा चुके हैं। आशा है कि इस योजना से खाद्यान्न व्यापारियों में खाद्यान्न संचय करने की प्रवृत्ति रुक जायगी और साथ ही एक ऐसा संतोषजनक मूल्य स्तर बनाये रखने में सहायता मिलेगी, जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही के लिये उचित हो। इससे उत्पादक को मिलने वाले तथा उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों का अन्तर और भी कम हो जायगा।

पिछली मई में यह देखा गया है कि बाजार में शक्कर के मूल्य बढ़ रहे हैं। तुरन्त मेरी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के आठ प्रमुख नगरों में बांटे जाने के लिये ३,०५० टन शक्कर देने के लिये निवेदन किया। सरकार ने इस शक्कर को कारखाना द्वार के मूल्य(ex-factory price) पर उठाने के लिये एकमात्र प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन को अपनी ओर से नामनिर्दिष्ट किया। यह शक्कर प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा उठायी गई और उक्त नगरों में उचित मूल्य वाली दूकानों द्वारा १५ आ० ६ पा० प्रति सेर की दर से वितरित की गई। मेरी सरकार के निवेदन पर भारत सरकार ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले १७ नगरों में उपर्युक्त रीति से वितरण के लिये लगभग ५,००० टन शक्कर पुनः दी। इस शक्कर का वितरण उपभोक्ताओं को १५ आ० ६ पा० प्रति सेर की दर से किया जा रहा है।

भारत सरकार की सहमति से मेरी सरकार ने उक्त योजना को अब ५०,००० और उससे अधिक जनसंख्या वाले समस्त नगरों में चालू करने का निश्चय किया है।

मेरी सरकार ने हाल में जारी किये गये उत्तर प्रदेश शक्कर व्यापारियों को लाइसेंस देने का आदेश, १९५९ के अधीन, राज्य के सभी शक्कर के व्यापारियों के लिये भी लाइसेंस की व्यवस्था की है। आगे के प्रबन्ध के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की गई है और वह भारत सरकार को उसकी सहमति के लिये भेज दी गई है।

जहां तक इमारती सामान का संबंध है सीमेंट और कोयले के चूरे की पूर्ति और वितरण में काफी सुधार हुआ है, किन्तु १९५९ की प्रथम तिमाही में भारत सरकार द्वारा लोहे और इस्पात के कोटे बढ़ा दिये जाने पर भी उनकी कमी बनी हुई है। बढ़े हुए कोटे का प्रभाव १९६० के पहले प्रकट होने की संभावना नहीं है। राज्य में मकानों की स्थिति में विशेष सुधार होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं और पिछले वर्ष यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की अवधि पांच साल के लिये और अर्थात् ३० सितम्बर, १९६३ तक के लिये बढ़ा दी गई थी, किन्तु उक्त ऐक्ट के कार्यान्वय से यह पता चला है कि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिये शीघ्र ही एक व्यापक संशोधक विधेयक आपके समक्ष लाने का विचार है।

जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना से इस राज्य में सहकारिता आन्दोलन का प्रसार तेजी से होना आरम्भ हुआ है, और हाल के वर्षों में इस राज्य के विभिन्न विकास कार्यों में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। सहकारिता आन्दोलन की प्रगति तथा प्रसार में और तेजी लाने के अभिप्राय से मार्च, १९५९ में एक भूमि-प्रबन्धक बैंक स्थापित किया गया जो इस राज्य के सहकारिता के इतिहास में एक युग-प्रवर्तक घटना है। इस बैंक का उद्देश्य भूमि को तोड़कर उसे खेती-योग्य बनाने और उसमें स्थायी रूप से सुधार करने, भारी औजार खरीदने तथा पुराने ऋण चुकाने आदि के निमित्त दीर्घकालीन ऋण देना है। आशा की जाती है कि इस योजना से पूरा लाभ उठाया जायगा और यह किसानों के लिये बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार सीरदारों को मध्यमकालीन ऋण उपलभ्य कराने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है जो कि वे इस समय अपनी भूमि को बन्धक रखने में असमर्थ होने के कारण आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते।

राज्य द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार की सफलता कुछ अंश तक सहकारी क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना और उनके विकास पर निर्भर है। इसलिये मेरी सरकार ने यह निश्चय किया है कि राज्य द्वारा व्यापार का संघटन इस प्रकार किया जाय कि उससे इस राज्य में सहकारी क्रय-विक्रय समितियों की वृद्धि हो।

क्वालिटी सहकारी फार्मों के संघटन की ओर भी मेरी सरकार ध्यान दे रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य सहकारी समितियां, श्रम सहकारी समितियां, प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समितियां, राज्य गोदाम निगम, सहायता तथा प्रत्याभूति निधि (Relief and Guarantee Fund) स्थापित करने तथा वस्तु-प्रक्रिया समितियों (Processing Societies) के लिये भी सहकारी पद्धति का प्रयोग करने और सहकारियों तथा सहकारी कर्मचारिवर्ग की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की योजनाओं का प्रसार करने से इस राज्य में सहकारी आन्दोलन को और भी प्रोत्साहन मिला है। राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव से सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में नये दृष्टिकोण से काम करने की प्रेरणा मिली है। इस प्रस्ताव का आशय यह है कि सहकारी समिति का संघटन ग्राम-समुदाय के आधार पर किया जाय और ग्राम्य स्तर पर समस्त सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये कार्य के आरम्भ और निर्वहन की पूरी जिम्मेदारी ग्राम सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों पर डाली जाय। मेरी सरकार ने इस नीति विषयक निर्णय को स्वीकार कर लिया है और प्रसार कार्यकर्त्ताओं के सहकारिता में प्रगाढ़ प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है। उनका मुख्य कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम के कृषि कार्य-क्रम सहकारी पद्धति से निष्पादित हों। एक क्रमिक कार्य-क्रम के अनुसार जो आगामी तीन या चार वर्षों में पूरा होगा, राज्य

भर में सेवा सहकारी समितियां भी स्थापित की जायंगी, जिनका उद्देश्य कृषि योजनायें तैयार करके, नकदी और जिन्स में ऋण वितरित करके तथा उन्नत बीज, कृषि औजार और उर्वरकों की व्यवस्था करके कृषि का उत्पादन बढ़ाना और ऐसे समस्त कार्य करना है जो कृषि के लिये सहायक हों।

नई परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने न केवल सहकारी विभाग का संघटन करने और उसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा आवश्यकतानुसार ग्राम समितियों के प्रबन्ध व्यय में अंशदान देने का निश्चय किया है, अपितु वर्तमान सहकारिता संबंधी विधि में भी संशोधन करने के निमित्त कार्यवाही करने का भी निश्चय किया है। इस विषय पर प्रस्तावित कानून बन जाने से प्रक्रिया सरल हो जायगी, ऋण संबंधी सुविधायें और अधिक लोगों को उपलभ्य हो जायंगी और समितियों पर सरकारी नियंत्रण कम हो जायगा। मेरी सरकार का यह विचार है कि प्रस्तावित कानून में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षण और निरीक्षण के काफी अधिक अधिकार तो दे दिये जायं, किन्तु उसमें सहकारी समितियों के दिन प्रति दिन के कार्यों पर या उनके प्रबन्ध पर सरकारी कर्मचारियों का नियंत्रण कम करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। विधान-मंडल के वर्तमान सत्र में इस विषय पर एक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के पास हो जाने पर भूमि-व्यवस्था के क्षेत्र में जो शांतिमय क्रांति प्रारम्भ हुई थी उससे मध्यवर्तियों को समाप्त करने, खेत जोतने वालों को ही भूमि का अधिकार दिलाने और जौनसार-बावर तथा कुमायूं को छोड़ कर समस्त राज्य में भौमिक अधिकारों में एकरूपता लाने में सफलता मिली है। जौनसार बावर क्षेत्र में भी अब इस दिशा में काफी प्रगति हो गई है और जहां तक कुमायूं का संबंध है, कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक विधान सभा के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त जोत चकबन्दी योजना प्रारम्भ करके मेरी सरकार ने एक दूसरी महत्वपूर्ण कार्यवाही की है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यकी निरन्तर प्रगति हो रही है और इस वर्ष इस योजना को नौ नये जिलों में चालू करने का विचार है। भूमि अभिलेखों में अशुद्धियों का पता लगा कर और उन्हें ठीक करके भू-राजस्व की मांगों को शुद्ध करने की योजना भी इस वर्ष अप्रैल से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना से लगभग २ करोड़ रुपये की अनावर्त्तक शुद्ध आय होने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त कर-निर्धारण का भार बढ़ाये बिना ही इससे राज्य के भू-राजस्व में स्थायी रूप से वृद्धि हो जायगी।

भूमि-व्यवस्था के क्षेत्र में इतना कार्य कर चुकने के बाद मेरी सरकार ने जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करके एक और क्रांतिकारी कदम उठाने का निश्चय किया है। अस्थायी रूप से यह निश्चय किया गया है कि जोतों की अधिकतम सीमा भूमि की अच्छी औसत किस्म के आधार पर निर्धारित की जाय जिससे पांच सदस्य वाले परिवार के लिये यथोचित आय सुनिश्चित हो जाय और साथ ही आठ सदस्य तक के परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये अतिरिक्त व्यवस्था भी हो जाय। सरकार का विचार यह है कि वह इस प्रकार उपलब्ध अतिरिक्त भूमि खातेदारों को समुचित प्रतिकर देकर ले ले और उसे खेती करने के लिये भूमिहीन मजदूरों की सहकारी समितियों को कुछ शर्तों पर दे दे। इन विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विधान मंडल के इस सत्र में इस विषय पर एक व्यापक विधायन पुरःस्थापित करने का विचार है।

आपको मालूम है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर तराई क्षेत्र में, कतिपय व्यक्तियों के, जिनमें कुछ विस्थापित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज हो जाने के कारण कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं, जिन्हें दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) अधिनियम, १९५३ पारित किया गया था। २४ अप्रैल, १९५९ को इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद १४ के अननुकूल होने के कारण राज्य की विधायन शक्ति के परे घोषित कर दिया।

मेरी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिये विशेष अनुमति मांगी तथा इस अपील में निर्णय दिये जाने तक उक्त निर्णय का प्रवर्तन स्थगित करने की प्रार्थना की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। फिर भी उक्त निर्णय के दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालयों के बाद के निर्णयों पर प्रभाव पड़ा और स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी पड़ी। चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था इसलिये मैंने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाने के लिये एक विधेयक शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम बनने के पहले भूतपूर्व जमींदारों ने अधिकारों के राज्य में निहित हो जाने के परिणामों से बचने के लिये काफी बड़े वन-क्षेत्रों के पट्टे लिख दिये। इस प्रकार किये गये पट्टों के आधार पर हितबद्ध व्यक्तियों ने उन वनों को साफ करना शुरू कर दिया, जिससे राष्ट्रीय क्षति हुई और हमारे राज्य के उस वन-क्षेत्र में और कमी हुई जो पहले से ही आवश्यक न्यूनतम से कम है। राज्य की सर्वाङ्गीण आर्थिक स्थिरता के लिये कुछ अनुपात में वन क्षेत्रों का परिरक्षण नितान्त आवश्यक है। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के १९५६ ई० के संशोधन का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि इससे राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं मिला कि वह वन लगाने के प्रयोजनों के लिये नये पौधे लगाये या वर्तमान वनों का समुचित अनुरक्षण और विकास सुनिश्चित करे। ऐसे अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से "इंडियन फारेस्ट (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९५९" नामक एक विधेयक इस सत्र में विधान मंडल के समक्ष यथासंभव प्रस्तुत करने का विचार है।

कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ निवासी वनों से मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयों के विषय में व्यक्तिगत रूप से तथा विधान-मंडल के कुछ सदस्यों के द्वारा सरकार से अभ्यावेदन करते रहे हैं। अतः मेरी सरकार ने इस क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों की जांच करने के लिये श्री बलदेवसिंह आर्य, उपमंत्री के सभापतित्व में विधान मंडल के पांच सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है। यह समिति अप्रैल, १९५९ में नियुक्त की गई थी और आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें चार महीने के भीतर सरकार को दे देगी।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था के सर्वतोमुखी विकास के लिये तथा राज्य में कृषि भूमि पर भार कम करने के उद्देश्य से यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य का औद्योगीकरण तेजी से किया जाय। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार इस आवश्यकता के प्रति पूर्णतया जागरूक है और उसने इस समस्या को हल करने के एक साधन के रूप में उद्योगों का विकास सहकारिता के आधार पर करने का निश्चय किया है। तदनुसार गांवों के उद्योगों और हस्तशिल्पों के क्षेत्र में बनाई गई औद्योगिक सहकारी समितियों को उदारतापूर्वक सहायता देने का निश्चय किया गया है।

मेरी सरकार का, उद्योग संचालक के विभाग का पुनः संगठन क्षेत्रीय आधार पर इस तरह करने के अतिरिक्त कि विभिन्न औद्योगिक कार्यक्रमों का शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वय तथा प्रवर्तन और सरकार की ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत और अधिक धनराशियों का वितरण सुनिश्चित हो जाय, यह भी विचार है कि हाल ही में बनाए गए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम का उपयोग लघु उद्योग परिचालकों को कच्चे माल की पूर्ति करने के लिये तथा उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से क्रय-विक्रय करने के लिये करे। साथ ही जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण पूरा करने का भी विचार है, जिससे इस राज्य में औद्योगीकरण की प्रगति ही तेज नहीं हो जायगी अपितु भावी योजनायें तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। गैर-सरकारी व्यक्तियों का ग्रामोद्योगों के विकास से अधिक निकट का सम्पर्क कायम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग परिनियत बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न मेरी सरकार के विचाराधीन है और इस प्रयोजन के लिये यथासमय एक विधायन पुरःस्थापित करने का विचार है।

बड़े उद्योगों के क्षेत्र में राज्य के दो उपक्रमों अर्थात् सरकारी सीमेंट कारखाना, चुर्क और सरकारी सूक्ष्म यंत्र कारखाना (Government Precision Instrument Factory), लखनऊ के प्रसार की हमारी योजनाओं में काफी प्रगति हुई है और निजी क्षेत्र में तृणफलक (Strawboard) तथा कागज लपेटने के काम आने वाला कागज, रंगीन कांच की वस्तुएं, छोटे बल्ब, परिवर्तक (transformer) रेयां के रेशे, सोडा ऐश एवं एमोनियम क्लोराइड और कतिपय अन्य सामान तैयार करने के उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। रिहन्द क्षेत्र में अल्मोनियम का एक कारखाना खोलने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, जो निजी क्षेत्र में होगा और एक विदेशी फर्म के सहयोग से खोला जायगा। इस कारखाने के स्थापित हो जाने से न केवल विदेशी मुद्रा की पर्याप्त बचत होगी, वरन् इससे अतिरिक्त रोजगार की भी व्यवस्था होगी और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सहायक उद्योग, जैसे—बसों के अल्मोनियम के ढांचे बनाने, वायुयान निर्माण, अल्मोनियम के संवाहक (conductor), चादरों, पत्रों (foils) तथा रंगलेप आदि के उद्योग स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी।

राज्य में वस्त्र उद्योग की स्थिति से मेरी सरकार चिन्तित थी और उस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। मेसर्स एथर्टन वेस्ट ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की कपड़े की मिल अत्यधिक माल एकत्र हो जाने से और वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द पड़ी हुई है। उसके मामले में जांच की गई, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने, भारत सरकार के परामर्श से, इस मिल को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम [Industries (Development and Regulation) Act.] के अधीन नियुक्त एक प्राधिकृत नियंत्रक की सहायता से फिर से चालू करने का निश्चय किया है। आशा है कि यह मिल शीघ्र उत्पादन आरम्भ कर देगी।

राज्य की औद्योगिक उन्नति में सफलता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है और इसके प्रति मेरी सरकार पूर्णतया जागरूक है। यह सफलता एक बड़ी हद तक औद्योगिक शान्ति और संतुष्ट श्रमिकों पर निर्भर है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्रम कल्याण योजनाओं, संराधन व्यवस्था तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा मेरी सरकार ने जो विभिन्न प्रयास किये हैं वे फलीभूत हो रहे हैं और इस समय जो औद्योगिक शान्ति है तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में श्रमिकों ने जो योगदान दिया है उस पर हमें गर्व होना चाहिये।

मेरी सरकार का यह विचार है कि वह नियोजकों तथा कर्मचारियों के औद्योगिक सम्बन्धों को और सुधारने तथा अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में बाधक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० में और संशोधन करने के लिये एक विधेयक विधान मंडल के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करे।

मेरी सरकार ने १०० से अधिक श्रमिक रखने वाले सरकारी उपक्रमों में तथा उन उपक्रमों में जो सहकारी प्रबन्ध में हैं, कर्मपरिषद् (Work Councils) बनाने का निश्चय किया है, ताकि श्रमिकों का सहयोग इन उपक्रमों के प्रबन्ध में भी हो। इस अद्वितीय तथा साहसपूर्ण निश्चय के लिये अपनी सरकार को बधाई देते समय मैं अपनी, और संभवतः आपकी भी, हार्दिक भावनाओं को व्यक्त करता हूं। अब तक २१ राज्य उपक्रमों में तथा ५ सहकारी संस्थाओं में कर्मपरिषदें बनाने की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।

श्रमिक संघों (Trade Unions) के स्वस्थ विकास के लिये श्रमिकों का शिक्षण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में एक योजना पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन में तैयार की गई थी। मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष होता है कि एम्प्लायर्स एसोशियेशन आफ नार्दर्न इंडिया इस योजना को चालू वर्ष में कार्यान्वित करने के लिये सहमत हो गयी है। इस प्रयोजन के लिये मेरी सरकार कानपुर में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करने का प्रबन्ध कर रही है।

बेरोजगारों को काम दिलाने की आवश्यकता सर्वविदित है। राज्य में ३६ नियोजन संस्थान (Employment Exchanges) खुले हुए हैं, वे इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। दो विश्वविद्यालय नियोजन केन्द्र (University Employment Bureaus) खुल चुके हैं।

एक मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में और दूसरा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में। मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इनके अतिरिक्त छः और जिला नियोजन संस्थान खोलने का निश्चय किया है। इसके अलावा नई प्रशिक्षण संस्थायें खोलकर और वर्तमान संस्थाओं की क्षमता बढ़ा कर औद्योगिक तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्य का प्रसार करने का विचार है। आगरा, इलाहाबाद कानपुर और मेरठ के नियोजन संस्थानों में चार और विशेषित व्यवसायिक पथ-प्रदर्शन तथा नियोजन मंत्रणा अनुभाग (Specialized Vocational Guidance and Employment Counselling Sections) भी खोलने का विचार है।

जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में मद्य-निषेध की नीति कार्यान्वित की है। किन्तु इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मद्य तैयार किये जाने और हानिकर पदार्थों के सेवन की शिकायतें बराबर आती रही हैं। अतः कुछ मास पूर्व मेरी सरकार ने श्री रामस्वरूप यादव, उप-मंत्री के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की, कि वह इस मामले की विस्तृत रूप से जांच करे और इन बुराइयों के दूर करने के उपायों और साधनों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे। समिति शीघ्र ही पर्यालोचन समाप्त करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि मेरी सरकार ने राज्य के शहरों और गांवों की जनता के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने के निमित्त जोरदार कार्यवाहियां करने के अतिरिक्त महामारियों की समाप्ति के लिये निश्चयात्मक तथा प्रभावकारी कदम उठाये हैं। इस राज्य में जिन मुख्य महामारियों का प्रकोप रहता था वे चेचक, हैजा और प्लेग थीं। इस वर्ष चेचक का प्रकोप बहुत कम रहा, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर टीके लगाये गये तथा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में प्रारम्भिक टीका लगाने में अधिक कड़ाई बरती गई और साथ ही स्वास्थ्य विषयक शिक्षा देने के लिये प्रगाढ़ आन्दोलन चला कर जन साधारण को चेचक की महामारी से मुक्त रहने के लिये टीका प्रथम बार तथा पुनः लगवाने की आवश्यकता समझाई गई। हैजे का, जिसमें जठरकोप (Gastro enteritis) भी है, प्रकोप इस वर्ष बहुत कम रहा क्योंकि जहां भी हैजा या जठरकोप होने की कोई सूचना मिली वहीं सामूहिक रूप से टीका लगाने के लिये तत्काल कार्यवाही की गयी, पानी को रोगाणुमुक्त किया गया और जहां कहीं सम्भव हो सका रुग्ण व्यक्तियों को अलग स्थान में रखने की व्यवस्था की गई। वातावरण स्वच्छ रखने के कार्यों पर भी जोर दिया गया। प्लेग से कोई पीड़ित नहीं हुआ।

राज्य में बिजली के उत्पादन को बढ़ाये तथा विकसित किये बिना कृषि और उद्योग का विकास सम्भव नहीं है। अतः मेरी सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के विकास को यथोचित पूर्वता दी है। क्योंकि वह इस बात के लिये उत्सुक है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को तेज किया जाय जिससे कि वे यदि निर्धारित समय से काफी पहले पूरी न भी हो सकें तो भी निर्धारित समय तक तो समाप्त हो ही जायं। इसलिये उसने चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (U. P. State Electricity Board) का संघटन किया, जिसे रिहन्द के अतिरिक्त सभी राज्य विद्युत प्रक्रम सौंप दिये गये हैं। उक्त बोर्ड ने मितव्ययता सुनिश्चित करने तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भूतपूर्व विद्युत विभाग का पुनस्संगठन करने के लिये एक योजना बनाई है। उसने अपर गैन्जेज वैली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को भी ४ मई, १९५९ को उसके लाइसेंस की अवधि के समाप्त हो जाने पर खरीद लिया है। यह बिजली सप्लाई करने की एक प्राइवेट कम्पनी थी और मुरादाबाद तथा बिजनौर के जिलों में बिजली सप्लाई करती थी। हमारे राज्य की सब से बड़ी विद्युत परियोजना, अर्थात् रिहन्द परियोजना का कार्य निर्धारित क्रम से बढ़ रहा है। अनुमान है कि रिहन्द परियोजना की सम्पूर्ण स्थायी क्षमता (firm capacity) शतप्रतिशत भार की दशा में १,०३,००० किलोवाट होगी। राज्य के औद्योगिक विकास के लिये तथा नियोजन के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने रिहन्द क्षेत्र में स्थित अल्मोनियम फैक्टरी की बिजली की मांग को तथा संकर्षण कार्यक्रम

(traction programme) और मोगलसराय स्थित लोकोमोटिव कम्पोनेन्ट फैक्टरी के लिये अपेक्षित बिजली की रेलवे की मांग को पूरा करने का निश्चय किया है। चुर्क स्थित सरकारी सीमेंट कारखाने की आवश्यकता तथा मध्य प्रदेश सरकार को दिये गये वचन का भी ध्यान रखा गया है। राज्य के पूर्वी भाग की आवश्यकताओं को विस्मृत नहीं किया गया है और वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। मऊ और गोरखपुर में अब १५,००० किलोवाट का एक ऊष्णीय स्टेशन (Thermal Station) है और सोहवल बिजली घर का उत्पादन १९,५०० किलोवाट तक बढ़ाने के लिये उसका और प्रसार किया गया है। जब रिहन्द परियोजना कार्य करने लगेगी तो पूर्वी क्षेत्र के इन बिजली घरों को रिहन्द प्रणाली से सम्बद्ध करने से तथा रिहन्द प्रणाली और पूर्वी क्षेत्र के बिजली घरों के बीच बिजली के विनिमय द्वारा लगभग ४५,००० किलोवाट बिजली और उपलब्ध हो जायगी। सम्बद्ध करने का यह कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिजली सप्लाई करने के लिये १,८०,००० किलोवाट विद्युत् उत्पादन की क्षमता का एक ऊष्मीय विद्युत् स्टेशन (Thermal Power Station) किसी उपयुक्त स्थान में, अधिमानतः मुगलसराय में, स्थापित किया जायगा। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (Central Water and Power Commission) के परामर्श से सिंचाई एवं विद्युत् मंत्रालय (Ministry of Irrigation and Power) ने आयोजना आयोग और वित्त मंत्रालय के अर्थ व्यवस्था विभाग (Department of Economic Affairs) को लिखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में इस परियोजना से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य करने का उसे प्राधिकार दिया जाय जिससे कि यह बिजलीघर स्थापित करने के लिये अपेक्षित समय में कमी की जा सके और इस बिजलीघर से १९६३ में किसी समय बिजली उपलब्ध होने की सम्भावना है।

रिहन्द से लगभग २३ मील नीचे उतर कर आबरा के पास एक और जल-विद्युत् परियोजना के संबंध में अनुसंधान तथा सर्वेक्षण यथाशीघ्र पूरा करने के लिये कार्यवाही की गई है। पूरी हो जाने पर इस परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता (installed capacity) ४०,००० किलोवाट की तथा स्थायी क्षमता (firm capacity) लगभग २५,००० किलोवाट की हो जायगी।

भार (load) में वृद्धि सामान्यतया धीरे-धीरे होती है। इसमें काफी रुपया लगाना पड़ता है और मशीनें आदि एकत्रित करनी या बाहर से मंगानी पड़ती हैं। मेरी सरकार का यह विश्वास है कि इन क्षेत्रों में भार में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति के लिये साधन भी पर्याप्त होंगे।

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अलीगढ़ के निकट हरदुआगंज के वाष्प स्टेशन में ६०,००० किलोवाट की वृद्धि करने के कार्य में बराबर बाधा पड़ रही है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सहायता मांगी गयी है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर यह आशा की जाती है कि इससे राज्य के पश्चिमी जिलों में अतिरिक्त भार की मांग एक बड़ी मात्रा में पूरी हो जायगी। नैनी तथा वाराणसी में बिजली की अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड को कुछ डीजल सेट किराये पर दिये हैं। इलाहाबाद, आगरा तथा वाराणसी के जिलों में मेसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड जितने क्षेत्र में बिजली सप्लाई करते हैं उसमें बिजली की भारी मांग तथा सप्लाई की कमी के कारण उसके वितरण पर नियंत्रण बना हुआ है। आगरा में स्थिति १९६० तक सुधर जाने की आशा है क्योंकि उस समय तक उक्त कम्पनी द्वारा मंगाये गये अतिरिक्त विद्युत सयंत्र (power plant) के वहां पहुंच जाने की संभावना है। किन्तु इलाहाबाद तथा वाराणसी में बिजली की सप्लाई सुधरने में कई वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उक्त कम्पनी अतिरिक्त संयंत्रों के लिये आर्डर नहीं दे पाई है।

वित्त मंत्री ने पिछले सत्र में अपने बजट भाषण में औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क (एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) के भुगतान से मुक्त करने के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी, और इस

उद्देश्य से मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने का तथा १ अप्रैल, १९५९ से उपर्युक्त छूट देने का निश्चय किया है। क्योंकि कुछ शीघ्रता की आवश्यकता थी और उस समय विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये मैंने इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाने के लिये आवश्यक विधेयक इस सत्र में शीघ्र ही पुरःस्थापित किया जायगा।

किसी राज्य के सुनियोजित विकास के लिये वहां पहले परिवहन की सुविधाओं का विकास होना आवश्यक है। तदनुसार आयोजनाओं में सड़कों के विकास, पुलों के निर्माण और परिवहन के सुधार को यथोचित महत्व दिया गया है। मार्च, १९५६ में प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति के समय इस राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ९,९०४ मील पक्की सड़कें और २,९१० मील कच्ची सड़कें थीं। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अंत तक पक्की सड़कें बढ़ कर १४,९५४ मील की हो जायेंगी। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सभी प्रकार के कुल १७ पुलों का निर्माण हो चुका है और ११ पुलों का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा हो जाने की सम्भावना है। चालू वित्तीय वर्ष में १४ और पुलों के भी पूरे हो जाने की आशा है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य उत्तम कोटि के हों, उन पर व्यय में कमी हो, और उन पर प्राविधिक और वित्तीय नियंत्रण अधिक रहे, राज्य सरकार उक्त विभाग के लिये एक आंतरिक, समवर्ती और अविरत प्रशासकीय तथा प्राविधिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी। तदनुसार सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक अनुभाग कायम किया है जिसमें एक मुख्य प्राविधिक परीक्षक (Chief Technical Examiner) और उसकी सहायता के लिये प्राविधिक परीक्षक तथा अन्य आवश्यक कर्मचारी होंगे।

जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस राज्य ने कई वर्ष पहले परिवहन प्रक्रमों के क्रमिक राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई थी। सरकारी रोडवेज के कार्य और संगठन में सर्वाङ्गीण उन्नति होती रही है। अन्तर्राज्य मार्गों पर बसें चलाने के सम्बन्ध में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ परस्पर प्रबन्ध भी किया गया है। साथ ही सामान और यात्रियों के यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मेरी सरकार उपलब्ध मार्गों पर निजी बस-चालकों को उदारतापूर्वक परमिट देने की नीति अपनाती रही है। मेरी सरकार ने विधान मंडल के सभी सदस्यों को राज्य के सरकारी रोडवेज की बसों पर निःशुल्क यात्रा करने के लिये वैयक्तिक पास यथाशीघ्र देने का भी निश्चय किया है। इसके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

किसी भी देश की महत्ता वहां के लोगों के बौद्धिक और नैतिक विकास पर निर्भर होती है और यह समुचित शिक्षण से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः राज्य द्वारा की जाने वाली समस्त सामाजिक सेवाओं में शिक्षा को निस्सन्देह गौरवमय स्थान प्राप्त है। इस राज्य में सब से अधिक विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय गत वर्ष खोला गया और एक दूसरा विश्वविद्यालय, अर्थात् तराई में कृषि विश्वविद्यालय शीघ्र ही खुलने वाला है। तदर्थ आवश्यक अधिनियम आप बना चुके हैं। इस विश्वविद्यालय को संयुक्त राज्य अमेरिका के लैण्ड ग्रान्ट कालेजों के ढंग पर खोलने के लिये आवश्यक प्रबन्ध भारत सरकार की सहायता से किये जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में एक कृषि महाविद्यालय, एक पशु-औषधि महाविद्यालय, एक कृषि अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एक गृह विज्ञान महाविद्यालय और एक विज्ञान महाविद्यालय होंगे। आशा है कि इन में से प्रथम तीन महाविद्यालय एक ही प्रांगण में और एक ही प्रशासन के अधीन जुलाई, १९६० से काम करना प्रारम्भ कर देंगे। यह भी आशा है कि इस विश्वविद्यालय के खुल जाने से न केवल कृषि की उच्च शिक्षा की उन्नति होगी वरन् इससे इस राज्य की कृषि शिक्षा के इतिहास में एक नये अध्याय का श्रीगणेश भी होगा। इसके अतिरिक्त रुड़की विश्वविद्यालय ने भी, जो हमारे राज्य की एक अन्य अग्रणी संस्था है, सर्वाङ्गीण प्रगति की है। उसमें

वर्तमान आठ पाठ्य-क्रमों के अतिरिक्त फोटोग्रामीट्रिक इंजीनियरिंग का एक स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम भी बढ़ा दिया गया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) की सहमति लेकर पहली सितम्बर से प्रारम्भ होने वाले आगामी शिक्षा सत्र से भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, गणित तथा भूतत्व-शास्त्र के पूर्ण विकसित विभाग खोलने का विचार है। रुड़की में डिग्री पाठ्य-क्रम की अवधि को ३ वर्ष से बढ़ा कर ४ वर्ष की करने के तथा इलाहाबाद में एक अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर भी मेरी सरकार विचार कर रही है। यह भी निश्चय किया गया है कि भारत सरकार की सहायता से कानपुर में एक क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी विद्यालय (रीजनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी) खोला जाय। आशा है कि जुलाई, १९६० से यह कार्य प्रारम्भ कर देगा।

अधिनियमों और उनके अधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव हुआ। विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों की ऋणभार बढ़ाने की प्रवृत्ति पर तुरन्त ही रोक लगाना आवश्यक समझा गया क्योंकि तुरन्त आवश्यकता थी और विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये मैंने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाने के लिये एक विधेयक आपके समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जायगा।

जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के लिये आयोजना आयोग के प्रस्ताव में, जिसे संसद् ने स्वीकार कर लिया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक जिले में एक सुसंघटित लोकतंत्रात्मक प्रशासन-व्यवस्था कायम की जाय और ग्राम पंचायतें उस का एक अंग हों। बलवन्तराय मेहता समिति ने भी लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के विषय में सिफारिशें की हैं। जैसा कि आपको विदित है, इसी उद्देश्य से मेरी सरकार ने गत वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भंग करके उनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदें कायम कर दी, ताकि वे आवश्यक विधि अधिनियमित होने पर जिला परिषदें बनने तक अन्तरिम निकायों के रूप में कार्य करती रहें। मेरी सरकार ने इस मामले पर काफी विचार किया है और वह कतिपय निर्णयों पर पहुंची है, जिन्हें उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक में समाविष्ट कर दिया गया है। वह विधेयक शीघ्र ही विधान मंडल के समक्ष पुरःस्थापित किया जायगा।

जिला परिषदें वे सब कार्य करेंगी जो भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करते थे और अब अंतरिम जिला परिषदें कर रही हैं, किन्तु उन्हें निर्माण कार्य तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम आदि को नियंत्रित और विनियमित करने, जिले में आयोजना के कार्यान्वय के लिये आवश्यक या अनुषंगिक कार्यवाही करने, टाउन एरिया कमेटियों और गांव सभाओं का पर्यवेक्षण करने और जिले के भीतर गांव सभाओं के कर संबंधी प्रस्तावों तथा उपविधियों को अनुमोदित तथा स्वीकृत करने के संबंध में अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। एक ऐसा समर्थकारी उपबन्ध बनाने का भी विचार है जिसके अनुसार भविष्य में जिला परिषदों को जिला स्तर के सरकारी विभागों के ऐसे अन्य कार्य संक्रमित किये जा सकें, जिसके विषय में सरकार ऐसा निश्चय करे।

जैसा कि आप जानते हैं, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ नगरों में नगरमहापालिकाओं के संघटन के निमित्त निर्वाचन इस वर्ष जून-जुलाई में होने वाला था, किन्तु जनता और विभिन्न राजनैतिक दलों की मांग पर उसे अक्तूबर-नवम्बर तक के लिये स्थगित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये एक विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित हो कर विधान सभा के विचाराधीन है। आपसे उक्त विधेयक को इस सत्र में पारित करने की अपेक्षा की जायगी।

मैदानी इलाकों में मनुष्यों द्वारा रिक्शा चलाया जाना बन्द करने की योजना पर मेरी सरकार विचार करती रही है और उसने आदर्श उपविधियां तैयार की हैं जो अंगीकृत किये जाने के लिये नगरपालिकाओं को भेजी गई हैं। इन उपविधियों के लागू होने पर रिक्शों के लिये नए लाइसेंस जारी नहीं किये जायेंगे और रिक्शों के वर्तमान लाइसेंसों की संख्या में प्रतिवर्ष १० प्रतिशत कमी

कर दी जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि रिक्शा चलाना धीरे-धीरे बन्द करने का क्रमिक कार्यक्रम १० वर्ष में पूरा हो जायगा।

राज्य के बड़े नगरों में गंदी बस्तियों के निवासियों के लिये पुनर्वासन की व्यवस्था कर के ऐसी बस्तियों की सफाई करने की समस्या की ओर भी मेरी सरकार का ध्यान रहा है और 'कवाल' नगरों में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित बस्ती सुधार योजनायें चालू करके इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। किन्तु गन्दी बस्तियों में रहने वालों को परिहार्य कठिनाई और परेशानी से बचाने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि गन्दी बस्तियों के स्थलों को उचित मूल्य पर शीघ्र ही अर्जित किया जा सके, एक विधेयक विधान मंडल के इस सत्र में ही आप के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का विचार है।

यह संतोष की बात है कि मेरी सरकार ने अवशिष्ट मुकदमों का निर्णय करने और न्यायालयों द्वारा मुकदमों के निबटाये जाने में विलम्ब को यथासम्भव कम करने के सम्बन्ध में जो विभिन्न कार्यवाहियां की हैं वे सफल ही रही हैं। उच्च-न्यायालय में लेखयाचिका संबंधी कार्य (writ work) और आपराधिक (क्रिमिनल) कार्य की स्थिति अब पहले से काफी अच्छी है। इस राज्य में न्याय-प्रशासन-प्रणाली को अधिक दक्ष बनाने के लिये कई प्रशासकीय कार्यवाहियां भी की गई हैं। जिला स्तर तक समस्त न्यायालयों में विलम्ब, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के कारणों की जांच करने तथा ऐसे विलम्ब और उत्पीड़न के मामलों को रोकने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के निमित्त व्यापक सुधारों तथा उपायों के सुझाव देने के लिये माननीय न्यायाधिपति श्री बी० मुकर्जी के सभापतित्व में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्ति की गई है, जो इस सम्बन्ध में पर्यालोचन कर रही है।

किसी विकास-कार्य के लिये यह आवश्यक है कि स्थिति शान्तिपूर्ण हो तथा विधि-व्यवस्था में स्थिरता हो। मुझे प्रसन्नता है कि इस राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है, यद्यपि पिछले वर्ष कुछ आंदोलनों, सत्याग्रहों तथा हड़तालों के कारण हमें कभी-कभी कुछ चिन्तापूर्ण क्षण बिताने पड़े। मेरी सरकार ने न केवल स्थिति को ही अच्छी तरह काबू में रक्खा है वरन् कई कुख्यात डाकुओं का, जिनमें सांवल सिंह और जहान सिंह भी हैं, सफाया करके डकैतियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी करने में भी वह सफल हुई है। सरकार ने पुलिस विभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्य में और सुधार करने के अतिरिक्त, परिवाद योजना (Complaints Scheme) का क्षेत्र भी विस्तृत कर दिया है, जिससे कि राज्य सरकार के अन्य विभाग भी भ्रष्टाचार और शिकायतों को दूर करने में इस संगठन का पूरा लाभ उठा सकें। पुलिस और जनता का संबंध सुधारने पर बराबर अधिक बल दिया जाता रहा है।

आप मानते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् इस राज्य में प्रशासन की लगभग सभी शाखाओं ने पर्याप्त प्रगति की है और राज्य की अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही देश के विभाजन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने से राज्य की जन-संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों समुदायों में इस प्रकार वृद्धि होने से पुलिस दल पर कार्यभार भी बढ़ा है। दूसरी ओर, पिछले लगभग १० वर्षों में इस दल में बहुत कम वृद्धि हुई है। मेरी सरकार पुलिस दल को लोक सेवा का अधिक प्रभावकारी साधन बनाने के उद्देश्य से उसके पुनःसंगठन की आवश्यकता पर काफी विचार करती रही है। यह प्रतीत होता है कि अब वह समय आ गया है जब विशिष्ट मानदंडों के आधार पर इस बात की सावधानी से जांच की जाय कि इस दल में कितनी वृद्धि की आवश्यकता है जिससे कि वह जनता की यथोचित सुरक्षा और बचाव की व्यवस्था करने के अपने मूलभूत प्रयोजन की पूर्ति कर सके। इसके साथ ही, पुलिस दल से संबंधित और भी बहुत सी समस्यायें हैं जिन पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। कई वर्षों से मेरी सरकार ने पुलिस का मनोबल, व्यवहार तथा दृष्टिकोण सुधारने और जनता की आवश्यकताओं के प्रति उसमें और अधिक सहानुभूति उत्पन्न करने के लिये

कार्यवाहियां की हैं। अब यह समयोचित होगा कि इन प्रयत्नों के प्रत्यक्ष परिणामों का मूल्यांकन किया जाय और भविष्य के लिये उसमें आवश्यक परिवर्तन किये जायं। इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक हो सकता है कि हम पुलिस की भर्ती, प्रशिक्षण और आनुशासिक नियंत्रण संबंधी अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करें और अनुसंधान एवं अभियोजन तथा व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों की रोकथाम करने के अभिकरणों (agencies) में और स्पष्ट विभाजन करने की आवश्यकता या वांछनीयता पर विचार करें और साथ ही ऐसे उपाय निकालें जिनसे पुलिस को जनता का अधिक सहयोग प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त हमें ऐसी सेवा की शर्तों और सुविधाओं की व्यवस्था करने की महत्ता की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिनसे पुलिस दल संतुष्ट और प्रसन्न रहे। इस मूल्यांकन के लिये तथा इन प्रश्नों पर विचार करने के लिये मेरी सरकार एक ऐसा पुलिस आयोग संगठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें प्रमुख गैर-सरकारी और कुछ सरकारी व्यक्ति हों। इस आयोग से यह आशा की जायगी कि वह इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार करे और उपलब्ध तथ्यों तथा साक्ष्य की जांच कर के सरकार के पास विशिष्ट सिफारिशें भेजे। सन् १९४८ में डाक्टर सीताराम के सभापतित्व में नियुक्त एक समिति ने पुलिस के पुनःसंगठन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इस समिति की बहुत-सी सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। तब से संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के कार्य करने का बहुत-सा अनुभव हुआ है और यह स्पष्ट है कि अब स्थिति के पुनर्मूल्यांकन के लिये उपयुक्त अवसर आ गया है।

मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी सरकार प्रशासन को अधिक कुशल तथा मितव्ययी बनाने पर पर्याप्त ध्यान देती रही है और उस पर अपना काफी समय लगा रही है। जनता और उसके प्रतिनिधियों के प्रति सरकारी कर्मचारियों का अधिकारीय आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिये, इस संबंध में उन्हें समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश भेजे गये हैं। सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर तथा भ्रष्टाचार-उन्मूलन और कार्य-को शीघ्रतापुर्वक तथा तत्परता से निपटाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उच्च पदों से लेकर अन्य विभिन्न स्तरों तक के कर्मचारियों की संख्या की सावधानी से जांच-पड़ताल की गई है, जिसके फलस्वरूप बहुत से पद तोड़ दिये गये हैं या अस्थगित कर दिये गये हैं, जिससे प्रशासन व्यय में पर्याप्त कमी हुई है। सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों में स्वस्थ परम्पराओं की वृद्धि के लिये तथा उनकी संतुष्टि और तृप्ति के लिये अन्य विभिन्न उपाय भी किये गये हैं, जिससे कि वे और उपयोगी लोक सेवक बन सकें। सचिवालय में संगठन और व्यवस्था डिवीजन (Organization and Methods Division) की योजना चालू की गई है जिसके अधीन विभिन्न अधिकारी दिन प्रति दिन प्रशासकीय मामलों में अधिक समय दे सकेंगे जिससे कि दक्षता आए तथा मितव्यय हो। निम्नस्तरीय प्राधिकारियों को बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार प्रतिनिहित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

सरकार ने सर्वप्रथम १९४७ में राज्य की विभिन्न सेवाओं में रिक्त होने वाले पदों में से दस प्रतिशत पदों को अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये रक्षित किया था। तत्पश्चात् १९५३ ई० में यह रक्षण बढ़ाकर १८ प्रतिशत कर दिया गया। लोगों में यह भावना है, और वह ठीक ही है, कि आयोग के अधिकार क्षेत्र में और उसके बाहर जितने रक्षित पद हैं उन पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उतनी संख्या में भरती करना सम्भव नहीं हो सका है जितना आवश्यक था। यद्यपि इस वर्ग के उम्मीदवारों को समय-समय पर आयु के प्रतिबन्धों से आवश्यक छूटें दी जाती रही हैं और कई अवसरों पर उसके सम्बन्ध में परीक्षा का निर्धारित स्तर कम करने के लिये आदेश भी दिये गये हैं, फिर भी उनका वांछित मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। अतः मेरी सरकार ने इस अल्प प्रतिनिधित्व के कारणों की छानबीन करने और इस कमी को दूर करने के लिये उपाय और साधन बताने के हेतु एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है।

इस समिति के सभापति लोक सेवा आयोग के एक सदस्य (श्री राधाकृष्ण अग्रवाल) होंगे। इसमें चार सरकारी सदस्य, जिसमें दो हरिजन अधिकारी भी सम्मिलित हैं, और

चार गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इस समिति से अपनी रिपोर्ट छः मास की अवधि में प्रस्तुत करने के लिये निवेदन किया जायेगा।

गत वर्ष लेख याचिकाओं (writ petitions) पर देय न्यायालय शुल्क की दर बढ़ाने के उद्देश्य से आप ने उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ पारित किया था। किन्तु इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार का उपबन्ध राज्य विधान-मंडल के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है, क्योंकि लेख याचिकायें उच्च न्यायालय द्वारा अपने असाधारण प्रारम्भिक व्यवहार अधिक्षेत्र (Extraordinary Original Civil Jurisdiction) का प्रयोग कर के ग्रहण नहीं की जाती है वरन् अपने साधारण प्रारम्भिक व्यवहार अधिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्रहण की जाती है। यद्यपि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील दायर की जा रही है, फिर भी इस बीच उससे उत्पन्न कठिनाई को विधि में संशोधन कर के दूर करने का निश्चय किया गया है। क्योंकि तुरन्त आवश्यकता थी और उक्त संशोधन में अन्तर्निहित सिद्धान्त का विधान मंडल पहले ही अनुमोदन कर चुका था, इसलिये मैंने कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश के प्रतिस्थापनार्थ एक विधेयक आपके विचारार्थ शीघ्र ही पुरःस्थापित किया जायेगा।

मैंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधायनों का उल्लेख आप के सामने किया है जिन पर इस सत्र में विचार करने की आपसे अपेक्षा की जा सकती है। विधायन सम्बन्धी कुछ अन्य कार्य भी हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश राज-पथ विधेयक, १९५९, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ़ विधेयक, १९५९, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५९ और नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार।

इसके पूर्व कि मैं अपना अभिभाषण समाप्त करूं, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारे देश में लोकतन्त्र अभी अपनी शैशवावस्था में है। उसका भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि यहां आप क्या करते हैं और सदनों के बाहर आप का व्यवहार कैसा है। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और वह आप से बड़ी-बड़ी आशाएं रखती है। आप अपने कार्य और आचरण से दूसरों के अनुकरणार्थ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए इस बात पर सावधानी से विचार करना आवश्यक है कि वे उदाहरण कैसे हों। आपका और सदनों का समय मूल्यवान है। इन सदनों की गरिमा और पवित्रता उच्चकोटि की है। अतः क्या मैं आप से यह आशा करूं कि आप सदैव उनकी उच्च गरिमा को बनाये रखेंगे और बनाये रखने में सहायक होंगे, सदनों के भीतर और बाहर लोकतांत्रिक परम्पराओं को सशक्त बनायेंगे और कोई ऐसा काम न करेंगे जो उन लोगों के हित में न हो जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप के विचार-विमर्श में सदैव गम्भीरता, दूरदर्शिता, निःस्वार्थ, उत्साह और सार्वजनिक कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा होगी जिनकी कि हमारी जनता की भलाई, राष्ट्रीय सुदृढ़ता और हमारे राज्य तथा देश के स्थायित्व के लिये अपेक्षा है। इस दिशा में आपके प्रयत्नों के लिये मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपको इतना बल और साहस दे कि आप के समक्ष जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप पूरा कर सकें।

जय हिन्द!

(इस समय १२ बजकर २ मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मण्डल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक दिन के २ बजे अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

आचार्य दीपंकर ने शपथ ग्रहण की।

राजा महाराजसिंह तथा श्री राजकुमार शर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद दो ऐसे सज्जनों का देहान्त हुआ जिनकी चर्चा सदन में करना हमारा कर्त्तव्य है। पहले जिस नाम का मैं जिक्र करना चाहता हूं वह राजा महाराज सिंह का है। सन् १८७८ में पंजाब में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षा इंग्लैण्ड में प्राप्त की। उसके बाद वे १९०४ में आई० सी० एस० में आये और उत्तर प्रदेश में उनकी नियुक्ति हुई। यहां वे सब बड़े सरकारी पदों पर रहे जैसे डिट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर। मेरी खुद उनसे मुलाकात तब हुई जब वे बनारस में कमिश्नर थे। गवर्नमेंट में सेक्रेटरी, फिर होम मेम्बर वे हुये। प्रदेश के बाहर भी कई बड़े सरकारी पदों पर वे रहे जैसे थोड़े दिन पहले वे बम्बई के गवर्नर थे। इसके अलावा भारत सरकार ने उनको दक्षिणी अफ्रीका में अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा और फिर युनाइटेड नेशंस में जब न्यूयार्क में मीटिंग हुई, जिस समय भारत और दक्षिणी अफ्रीका का विवाद उपस्थित हुआ तो जो भारतीय डेलीगेशन गया था उसके भी वे सदस्य थे। अंग्रेजी सरकार से सम्बन्ध रखने वाले कामों के अतिरिक्त यों भी शासन में उन्होंने कई बड़े काम किये जैसे जोधपुर में दीवान थे और काश्मीर में भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं।

केवल शासन के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा आदि अनेक प्रकार के सामाजिक कामों में भी उनकी दिलचस्पी थी जिसका एक प्रमाण यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उनको अपना वाइस-चांसलर चुना था। लखनऊ के रहने वाले तो इस बात से परिचित ही हैं कि वे हर किस्म के शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक कामों में वृद्ध होते हुये भी, अस्वस्थ होते हुये भी बराबर दिलचस्पी लेते रहते थे। यह शायद कम लोगों को मालूम होगा कि वे स्पोर्ट्स और एथेलिटिक्स में भी किसी समय में ऊंचा पद हासिल कर चुके थे। आक्सफोर्ड में बाक्सिंग में उन्होंने नाम कमाया था। और भी अनेक किस्म के स्पोर्ट्स वगैरह में उनको बहुत दिलचस्पी थी। इधर कुछ दिनों से उनको कैन्सर की शिकायत थी और इसी साल जुलाई में ८१ वर्ष की उम्र में उनका देहान्त हुआ।

दूसरे जिन सज्जन का मैं जिक्र करना चाहता हूं वे थे श्री राजकुमार शर्मा। शर्मा जी का १९०५ में जन्म हुआ था। वे राजनीति में तो दिलचस्पी लेते ही थे, स्वराज्य के आन्दोलन के सिलसिले में दो बार जेल गये। इस सदन के ६–७ वर्षों से सदस्य थे, पहली बार भी थे और इस बार भी चुन कर आये थे। इसके अलावा चुनार तहसील जो उनकी कांस्टीट्युऐंसी थी वहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे कई लोकहित के कामों में भाग लिया और वहां काफी उन्नति उनकी वजह से हुई। दुर्भाग्य से उनको भी कैन्सर की शिकायत हुई। अभी बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, ५५ वर्ष की अवस्था थी। यहां बलरामपुर अस्पताल में वे २६ जून को दाखिल हुये, कुछ दिन यहां रहने के बाद उनको ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं अच्छा नहीं हो सकता और उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि जब शरीर छोड़ना है तो मैं काशी में शरीर छोड़ना चाहता हूं। वे यहां से चले गये, १० जुलाई को काशी पहुंचे और ११ जुलाई को उनका देहान्त हो गया।

मेरा निवेदन है कि आप इन दोनों दिवंगत आत्माओं के परिवारों के साथ जो इस सदन की सहानुभूति है, जो इस सदन की समवेदना है उसको पहुंचायें। इन लोगों के उठजाने से हमारे सार्वजनिक और सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी क्षति हुई है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो उद्गार स्वर्गीय राजा महाराज सिंह व राजकुमार जी शर्मा के निधन पर प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपनी सहमति प्रकट करता हूं। राजा साहब की अवस्था बहुत काफी थी फिर भी घर बैठे-बैठे वे जो कोई भी उनसे मिलने जाता था उसके लिये एक प्रोत्साहन का कारण थे। इतने बूढ़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

होते हुये भी, जैसा माननीय नेता सदन ने कहा, ७७–७८ साल की उम्र में वह फुटबाल खेलते थे। कई बोलियां बोलते थे, कई जानवरों की बोलियां बोल लेते थे। जहां भी बच्चों की सभा हो तो वह नाना प्रकार की बोली बोल कर उनको खुश कर देते थे। बावजूद इसके कि उनका अधिकतर हिस्सा सरकारी नौकरी में बीता और उस समय में बीता जब देश गुलाम था, लेकिन कभी भी वह सरकारी नौकरी के कारण उस समय की सरकार से नहीं दबे। यह सभी को मालूम है कि १९३० में वह इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर थे, यह भी बहुत से माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि उस समय श्री जार्ज सोलोकोम्ब के बीच में पड़ने से पंडित मोतीलाल, डाक्टर सैयद महमूद, और श्री जवाहर लाल जी, गांधी जी से जेल में मिले थे कि जो आन्दोलन सरकार और कांग्रेस के बीच में चल रहा था, उसमें कोई मसलहत की शक्ल निकले। मान्यवर, मुझे यह जानकर हैरत हुई कि राजा महाराज सिंह ने अनेक बार मोतीलाल जी से बात की और इस प्रश्न पर बात की और गवर्नर जनरल को अपनी राय दी कि सरकार को कांग्रेस से सुलह करनी चाहिये पेश की। श्री तेज बहादुर सप्रू भी मोती लाल जी से मिलने गये थे और सदा उनको साथ ले जाते थे। यह एक विशिष्ट बात थी कि सरकारी कर्मचारी होते हुये इनको गांधी जी का इतना विश्वास प्राप्त हो, तेज बहादुर सप्रू जी का भी प्राप्त हो और इतने हिम्मत वाले हों कि वायसराय को सलाह दें। कहां कमिश्नर और कहां गवर्नर जनरल, यह सलाह कि कांग्रेस से सुलह कीजिये और दमन चक्र रोकिये! वह हमारे प्रदेश के लिये एक गौरव थे। यह हमारे प्रान्त का सौभाग्य था कि पंजाबी होते हुये भी उन्होंने ४० वर्षों से उत्तर प्रदेश को ही अपना घर बना लिया था। वह आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जिन्दगी से बहुत सबक ले सकते हैं और मुझे इसके कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि उनके न रहने से हमारे देश का एक रत्न उठ गया।

राजकुमार जी शर्मा की दुखद मृत्यु! ५५ वर्ष की उम्र कोई उमर नहीं थी और उनका जिस प्रकार से निधन हुआ वह दुखद है। उनका अपने कार्यक्षेत्र में राजनीति के साथ समाज सेवा के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति के साथ-साथ, पाठशालाओं, अस्पतालों तथा उस प्रकार के लोगों में जिनको सहायता की आवश्यकत हो, उसी कदर उनकी रुचि हो। उनके न रहने से हम सब को दुख है और मिर्जापुर जिला की कौन कहे बल्कि इस प्रदेश का एक अच्छा समाज-सेवी उठ गया। मैं मान्यवर से निवेदन करूंगा कि इस तरफ के बैठने वालों को जो शोक हुआ है और जिनको माननीय नेता सदन ने प्रकट किया है, उस पर हमारी समवेदना संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय राजा महाराज सिंह तथा राजकुमार जी शर्मा के सम्बन्ध में, सदन के माननीय नेता और विरोधी दल के नेता ने जो कुछ कहा है, उसके बाद कोई विशेष बात कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन राजा सर महाराजसिंह से मुझे जो निजी परिचय होने का सौभाग्य प्राप्त था उसके आधार पर मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार के, स्वयं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, विशिष्ट थे, महान् थे। उनकी सहानुभूति व्यापक और विशाल थी और उनके विचार उदात्त थे। मुझे यह मालूम है—अपने निजी अनुभव से तो नहीं, परन्तु स्वाधीनता संग्राम के साथियों के अनुभव से—कि जब वह यहां होम मेम्बर थे तब भी उनकी सहानुभूति राष्ट्रीय आन्दोलन में बलिदान करने वाले और योग देने वालों के साथ रहती थी और उनके साथ उदारता और सज्जनता का व्यवहार करते थे। मैं जब यहां मंत्रिमंडल का सदस्य था तब वह मेरे पड़ोसी थे और माननीय नेता सदन ने उनकी स्पोर्ट्स की रुचि के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसका अनुभव मुझे उस समय हुआ था। वह बहुधा मेरे यहां खेलने के लिये आ जाया करते थे और मुझे भी अपने यहां बुला लिया करते थे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजकुमार शर्मा जी के सम्बन्ध में इतनी बात तो स्पष्ट ही है कि वह अच्छे और सज्जन जनसेवी थे जिन्होंने त्याग और बलिदान किया और स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद अपने जनसेवा के कार्यों को कई क्षेत्रों में जारी रखा।

इन दोनों के शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी और मेरे साथियों की समवेदना भी आप पहुंचा देने की कृपा करें।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—राजा महाराज सिंह और श्री राजकुमार जी शर्मा के निधन के सम्बन्ध में नेता सदन ने, नेता विरोधी दल ने, और माननीय पालीवाल जी ने जो उद्गार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं और अपने तथा अपने दल की ओर से सहानुभूति और समवेदना प्रकट करता हूं और आप से निवेदन करूंगा कि हमारी सहानुभूति और समवेदना उनके दुखी परिवारों के पास पहुंचा दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, राजा सर महाराज सिंह तथा श्री राजकुमार शर्मा के निधन पर माननीय नेता सदन ने जो विचार प्रकट किये हैं तथा अन्यान्य नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे और उनके विचारों से मैं अपने को और जनसंघ को सम्बद्ध करता हूं।

राजा महाराज सिंह के बारे में एक बात मैं अपनी जानकारी के आधार पर अवश्य कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों और शिक्षा से जितना प्रेम उनको था उतना मैंने आज तक बहुत कम लोगों मे देखा। मैं अपनी जानकारी से कह सकता हूं कि एक अवस्था उनकी यह थी कि जितनी उनकी आमदनी थी करीब-करीब सब विद्यार्थियों और विशेषकर गरीब विद्यार्थियों की सहायता में लगा देते थे। आज उनके उठ जाने से विद्यार्थियों को एक बड़ी क्षति पहुंची है।

मैं आप से निवेदन करूंगा कि हमारी तथा जनसंघ दोनों की समवेदना और सहानुभूति उनके संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का, श्रीमन्, कष्ट करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा सर महाराज सिंह और माननीय राजकुमार जी शर्मा के निधन पर जो भावनाएं यहां व्यक्त की गयी हैं उनके साथ मैं अपने और अपने साथियों को सम्बद्ध करता हूं।

राजा महाराज सिंह जी के विषय में जो बातें अभी कही जा चुकी हैं मैं उनमें अधिक जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक बात का जिक्र अवश्य करना चाहता हूं। मुझे पांच वर्ष पहले की वह बात याद आती है कि जब हमारे प्रदेश में यूनिवर्सिटी यूनियन आन्दोलन चल रहा था और एक बहुत जबर्दस्त विद्यार्थी-विक्षोभ हमारे प्रदेश में व्याप्त था उस समय राजा साहब वृद्ध और रोगग्रस्त होते हुये भी अपना पूरा समय रात दिन यूनिवर्सिटी यूनियन में और उसके कम्पाउन्ड के अन्दर व्यतीत किया करते थे और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि सरकार और विद्यार्थियों के बीच में कोई समझौता हो जाय। मुझे और आप सब को मालूम है कि उस आन्दोलन को शांत करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उस अवस्था में कितनी रुचि उनकी विद्यार्थियों और उनके जीवन के प्रति थी, उसका बहुत कड़ा प्रमाण यह था।

अन्त में अधिक न कह कर राजकुमार जी शर्माके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा और उनका परिचय विशेष न था, लेकिन पिछले ७ वर्षों से वह इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। इस रूप में हमने उनको देखा और समझने की कोशिश की। उनकी जनप्रियता इसी से स्पष्ट है कि दो बार अपने विरोधियों को बहुत बड़े जनमत से उन्होंने हराया था और इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुये थे। मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों की सद्भावना और समवेदना उनके संतप्त परिवार के पास पहुंचाने की कृपा करें ताकि इस दुख के मौके पर उनको अपना दुख कुछ हलका महसूस हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—राजा महाराज सिंह तथा श्री राजकुमार जी शर्मा के निधन पर नेता सदन और अन्य पार्टियों के नेताओं ने इस आदरणीय सदन की ओर से जो सद्भावना और उद्गार प्रकट किये हैं उनके साथ मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं।

जितनी बातें इन महान व्यक्तियों के सम्बन्ध में कही गईं उससे अधिक मैं कहने की आवश्यकता नहीं समझता। दो-एक बातें राजा महाराज सिंह के बारे में कह सकता हूं कि वह न केवल शासक थे और शिक्षा प्रेमी ही थे बल्कि उनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि समाज के प्रत्येक अंग के साथ सहानुभूति रखने वाले ऐसे पुरुषों में उत्तम थे। वह बड़े मिलनसार, सब से प्रेम रखने वाले, कैसी भी दुख की परिस्थिति हो उसमें सब को प्रोत्साहन देने वाले तथा निरभिमानी व्यक्ति थे। मेरे घर के तो वह आखिर तक पड़ोसी रहे। जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन भी मैं उनके घर गया था। कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने के लिये, जब मुझे मालूम हुआ कि वह बहुत बीमार हैं, गया था। उस समय उनकी नाजुक हालत होते हुये भी बड़ी मुश्किल से जब मुझे उन्होंने पहचाना तो मैंने उनके चेहरे पर प्रेम की रेखा देखी और मुंह पर स्मिति देखी। इस अवस्था में भी मैंने उनकी महानता को पहचाना। ऐसे महान पुरुष के चले जाने से प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है और देश की भी क्षति हुई है। उनकी अवस्था भी काफी हो चुकी थी और बहुत वर्षों से वह दुखी थे। इस दृष्टि से उनका स्वर्गवास हो जाना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अनहोनी थी।

श्री राजकुमार शर्मा के बारे में यह कहा जा सकता है कि अभी बहुत दिनों तक वह सेवा करने के योग्य थे। एक भयानक रोग ने अचानक उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और पहले से उसका पता भी नहीं चला। मुझे यह भी मालूम हुआ कि अभी कैन्सर के विषय में हमारे देश में जानकारी बहुत कम है। उसके विषय में परीक्षा करने पर बहुत दिनों तक निश्चय नहीं हो सका जिसके कारण, जो उसके सम्बन्ध में चिकित्सा होनी चाहिये थी, वह उतनी नहीं हो सकी। यह बड़े दुख की बात है। लेकिन जब समय आ जाता है तो उसी के अनुसार मैं समझता हूं, सब तरह का इन्तजाम कालकराल कर लेता है। एक रोज पहले मैं यहां पर आया था उनके निधन के। उसी रोज वह बनारस जा रहे थे। मुझे फोन किया गया कि वह तत्काल जा रहे हैं। मुझे सिर्फ वह सूचना दी गई थी। मैं ९ तारीख को यहां पर आया था। यह सूचना मिलने के बाद दूसरे दिन मैंने सुना कि वह बनारस पहुंचने के १५मिनट के अन्दर ही कैलाशवासी हो गये। ऐसे पुरुष, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में आकर स्वतंत्रता के युद्ध में सब तरह का कष्ट भोगा, उनके कम अवस्था में ही चले जाने से हम सबको बड़ा दुख हुआ और अपने प्रान्त का बड़ा नुकसान हुआ। मैं उनके और राजा महाराज सिंह के संतप्त परिवारों को, जैसी कि सदन की इच्छा है, सदन की सहानुभूति और समवेदना भेज दूंगा और अब उनकी आत्माओं की शांति के लिये २ मिनट खड़े होकर हम परमात्मा से प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के हिन्दी रूपान्तर का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पठन

श्री अध्यक्ष—अब नियम के अनुसार श्री राज्यपाल का अभिभाषण मैं संक्षेप में पढ़ दूंगा, उसकी कुछ पहली और आखिरी पंक्तियां, प्रथा के अनुसार, क्योंकि आप भाषण सुन ही चुके हैं और यह समझा जायगा कि राज्यपाल का भाषण हिन्दी में पढ़ दिया गया।

"विधान-सभा के अध्यक्ष, विधान-परिषद् के सभापति तथा विधान मंडल के सदस्यगण, पिछले वर्ष २१ जुलाई को पहली बार मुझे आपको संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज फिर आपको सम्बोधित करते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

* * * *

इसके पूर्व कि मैं अपना अभिभाषण समाप्त करूं, मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारे देश में लोकतंत्र अभी अपनी शैशवावस्था में है। उसका भविष्य बहुत कुछ इस बात

पर निर्भर है कि यहां आप क्या करते हैं और सदनों के बाहर आपका व्यवहार कैसा है। आप जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं और वह आप से बड़ी-बड़ी आशायें रखती है। आप अपने कार्य और आचरण से दूसरों के अनुकरणार्थ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिये इस बात पर सावधानी से विचार करना आवश्यक है कि वे उदाहरण कैसे हों। आपका और सदनों का समय मूल्यवान है। इन सदनों की गरिमा और पवित्रता उच्चकोटि की है। अतः क्या मैं आपसे यह आशा करूं कि आप सदैव उनकी उच्च गरिमा को बनाये रखेंगे और बनाये रखने में सहायक होंगे, सदनों के भीतर और बाहर लोकतांत्रिक परम्पराओं को सशक्त बनायेंगे और कोई ऐसा काम न करेंगे जो उन लोगों के हित में न हो जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श में सदैव गंभीरता, दूरदर्शिता, निःस्वार्थता, उत्साह और सार्वजनिक कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा होगी, जिनकी कि हमारी जनता की भलाई, राष्ट्रीय सुदृढ़ता और हमारे राज्य तथा देश के स्थायित्व के लिये अपेक्षा है। इस दिशा में आपके प्रयत्नों के लिये मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपको इतना बल और साहस दे कि आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप पूरा कर सकें।"

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एम०वी०आर०ए०एम०–२०/३०५-टी०–एम–३०—४८२२-टी—५८, दिनांक ११ फरवरी, १९५९ तथा संख्या एम०बी०आर०ए० एम०–१८/३०३–टी–एम/३०—४८४२–टी–५८, दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर क्रमशः १८ और २० मार्च, १९५९ को चौदह दिन के लिये रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखी जाने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं यू० पी० पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ४०६४-पी/३३—७२५–५७, दिनांक २१ जनवरी, १९५९ तथा संख्या ४२८–प/३३—४८९–५८, दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर २ अप्रैल, १९५९ को चौदह दिन के लिये रखे गये थे और जिसके सदन की मेज पर रखे जाने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एम० वी० आर० ए० एम०–१९/३०४–टी० एम/ ३०—३१७-टी–५७, दिनांक १६ फरवरी, १९५९, संख्या एम० वी० आर० ए० एम०/२१–८८५-टी० एम/३०—४८६०-टी–५७, दिनांक २३ मार्च, १९५९ तथा संख्या एम० बी० आर० ए० एम०-२२/१७१-टी एम/३०—४८५३–टी–५८, दिनांक

*छापे नहीं गये।

[डाक्टर सीताराम]

१३ अप्रैल, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर ! श्रीमान जी, आप देखें कि अभी परिवहन मंत्री जी ने जो विज्ञप्तियां रखी हैं—१६ फरवरी, १९५९ और २३ मार्च, १९५९ की, उसके बाद ही अपना सदन बैठा था । तो ये विज्ञप्तियां पिछले सत्र में रखी जानी चाहिये थीं । आपने पहले एक बार व्यवस्था दी है कि विज्ञप्तियां निकलने के बाद जब सदन बैठे तब रखी जानी चाहिये, लेकिन पिछला सत्र पूरा हो जाने पर भी नहीं रखी गयीं, दूसरी बार रखी गयी हैं । तो आपकी बार-बार चेतावनी दिये जाने के बाद भी मंत्री जी द्वारा ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—यह जो रखी गयीं, इन पर कोई बहस तो होगी नहीं । आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैं समझता हूं परिवहन मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किसी दूसरे रोज़ दें कि क्यों इसमें देर हुई ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक जानकारी मुझे भी इसमें करनी है कि जो विज्ञप्तियां यहां रखी जा रही है नियम की, क्या इनके मुताबिक कार्य भी शुरू हो गया है ? क्या इसकी कोई जानकारी मंत्री जी करायेंगे ?

डाक्टर सीताराम—कार्य तो शुरू करही दिये गये हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा सदस्यगण की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि इसमें कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि धारा १३३(३) के अन्तर्गत ये १४ दिन के लिये सदन में प्रस्तुत करने चाहिये और माननीय सदस्यगण को अधिकार होगा कि १४ दिन के अन्दर जो तरमीम करना चाहें वह कर सकते हैं । तो इसमें देरी नहीं हुई है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक शंका और है ।

श्री अध्यक्ष—उनके पढ़ लेने के बाद में समाधान कर दूंगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८ में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन सेवा (विकास) नियमावली, १९५८ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० आर० टी० एस० डी० आर० ए०एम०-१-७५७-टी०एम/३०-४४९२-टी—५५, दिनांक २० फरवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जब नियम बन जाते हैं तो उनको इस सदन में १४ दिन के अन्दर रखने की परिपाटी इसलिये बनाई गई होगी कि उस सम्बन्ध में· · ·

श्री अध्यक्ष—आप "होगी" शब्द नहीं कह सकते, आपको जानकारी होनी चाहिये । आप बैठ जाइये, मैं आपकी शंका समझ गया और मैं जवाब देता हूं । आपकी शंका यह है कि आप सोचते हैं कि नियम लागू कर दिये गये २० फरवरी से और उसके बाद असेम्बली भी हुई लेकिन तब वह असेम्बली में नहीं रक्खे गये । तो सदन में जो रखने में देरी हुई उसके लिये तो मैं कह सकता हूं कि देरी नहीं होनी चाहिये और शीघ्र ही वे सदन में आजाने चाहिये लेकिन

*छापे नहीं गये ।

अधिनियम बनाने का काम इस सदन का है और उसने अधिनियम बना दिया और उसमें रूल्स बनाने का अधिकार सरकार को दे दिया और उस वक्त यह कह दिया कि सरकार रूल्स बना देगी और वे तुरन्त लागू हो जायेंगे ।

श्री राजनारायण—यह नहीं है, श्रीमन् । उसमें यह है कि सदन के सामने रखे जायेंगे और उनमें संशोधन होंगे . . . .

श्री अध्यक्ष—आप सुनिये तो । उसमें यह है कि वे तुरन्त लागू हो जायेंगे लेकिन उनको सरकार सदन के सामने रखेगी और १४ रोज़ तक वह सदन के सामने रहेंगे और उन दिनों में यदि कोई परिवर्तन कर दिया जायगा तो उस संशोधन के साथ वह नियम लागू होंगे उसके बाद से, लेकिन उसके पहले जबकि नियम बनेंगे तब वह वैसे के वैसे ही तुरन्त लागू हो जायेंगे जैसे कि सरकार बनायेगी । मैं समझता हूं कि चूंकि ३–४ महीने के बाद यह आये हैं इसलिये आप उस बात को भूल गये ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे पूर्ण याद है । मैं पहले कमेटी में भी था और जमींदारी उन्मूलन नियमावली के बारे में, मुझे याद है, उसमें यह स्पष्ट था कि यह नियम बनेंगे और उसके बाद सदन की मेज़ पर रखे जायेंगे और १४ दिन रखने के बाद लागू होंगे । मैं वैसे इस विवाद में नहीं पड़ूंगा; केवल आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो अधिनियम है उसकी शब्दावली पढ़वा ली जाय ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके कल उसकी शब्दावली पेश करें तो उससे स्पष्ट हो जायगा ।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत प्रख्यापित आदेश

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारों के प्रयोग में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित तथा राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४९४–ए–जेड/१ (क) १०३१–७–५८ ई० दिनांक १८ मार्च, १९५९ के साथ विज्ञापित कठिनाइयों के निवारण का आदेश, १९५९ उक्त धारा ८८ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज़ पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन*

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ४३—आर०एस०/१ (क) राजस्व (घ)–११९३-घ-५८, दिनांक १६ फरवरी, १९५९, संख्या ९५०/१(क)—१०३१(७)—५८, दिनांक १८ मार्च, १९५९ तथा संख्या ९७४–आर०एस०/१(क)–१०२९–५७, दिनांक २७ मार्च, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज़ पर रखता हूं ।

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश नियमावली, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन*

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश नियमावली, १९५४ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५५८–र (स)/

*छापे नहीं गये ।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

१ (क)–१०५५–५४, दिनांक २४ जनवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ की धारा १८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० टी० आर० ए० एम०–२-८८५–३ टी० एम० ३०–४८६० टी–५७ दिनांक २३ मार्च, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागरक्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन*

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८८ आर०एस०/१ (क)—१०४५–५८ दिनांक २३ जून, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०बी० आर०ए० एम० २३–१५५४ बी ३०–३९ एच०–५९, दिनांक ३ जून, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०बी०टी० आर० (ए) एम० (३) १३९१–बी ३०–४४५३ टी–५५, दिनांक १८ मई, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं, यू० पी० पंचायतराज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९५—प/३३–३५९–५७, दिनांक ८ जनवरी, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

* छापे नहीं गये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैंने अभी आपके सामने परिवहन विभाग के बारे में जो बातें रखी थीं वही न्याय मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री के सम्बन्ध में भी रखना चाहता हूं। क्योंकि आप देखें कि संख्या ८ की १६ फरवरी को विज्ञप्ति हो गयी थी और संख्या १४ की विज्ञप्ति ८ जनवरी को हो गयी थी। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी आप उनसे स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री अध्यक्ष—कल इसके सम्बन्ध में जो भी जानकारी हो उसे प्राप्त करके मंत्री जी सदन को दे दें कि इतनी देर क्यों हुई।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९५९*

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वि.वविद्यालय अध्यादेश, १९५९ को सदन की मेज पर रखता हूं।

कोर्टफीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ *

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं कोर्टफीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९*

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, १९५९, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९*

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अध्यादेश, १९५९ को सदन की मेज पर रखता हूं।

भूमि-व्यवस्था सम्बन्धी नियमावली में किये गये संशोधनों के एकीकरण का सुझाव

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिन भी नियमों को रखना चाहते थे, रख चुके हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं माननीय न्याय मंत्री से कि वे हमारे साथ भी एक न्याय करें और वह यह कि अब तक जितने नियम भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में शाया हुए हैं, वे सब हमें एक जगह मिल जायं जिससे हम समझ सकें कि नियमों में जो भी परिवर्तन किये गये हैं वह किस नियम में किये गये हैं। पिछली मर्तबा भी मैंने यह अर्ज किया था कि लाइब्रेरी में कृपा कर के ऐसे संशोधन एक जगह रख दिये जायं जिससे हम लोग उनको देख कर यह समझ सकें कि परिवर्तन कहां किया गया है तथा हम लोग उसके सम्बन्ध में अपनी क्या राय दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त १४ दिनों की अवधि भी उसी दिन से मानी जाय जिस दिन यह नियम पूरे के पूरे आपके पास रखे जायं और आप हम लोगों को बता दें।

श्री अध्यक्ष—यह तो अधिनियम के नियम के विरुद्ध चला जायेगा। नियम में दिया हुआ है कि जब सदन में रखा जायगा उस दिन से १४ दिन माना जायगा।

---

*छापा नहीं गया।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह तो दिया हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि कुछ ऐसे नियम गजट में होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि आप नयी बहस ला रहे हैं। उसमें दिया हुआ है कि कोई भी अधिनियम बने, उसके जो नियम बनाये जायं या और कोई संशोधन हुए हों, वे सदन के सामने आ जाने चाहिये। अब पुराने जितने संशोधन हैं उसकी एक किताब-सी बनाकर, पूरे के पूरे नियम जितने आज तक बने हैं वे सदन के सदस्यों के हित के लिये छपवा कर बंटवा दें तो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि कई वर्षों में जितने नियम बने हैं उससे लोगों की जानकारी होनी चाहिये। लेटेस्ट नियम जो अब भी लागू हैं वही कम से कम लोगों को बतला दिये जायं और उसकी एक किताब छपवा दी जाय तो मैं समझता हूं कि उससे काफी सदस्यगण को फायदा होगा। लेकिन इसका १४ दिन की मियाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह मियाद तो नियम के अनुसार १४ दिन की ही रहेगी। अगर कोई जानकारी करना चाहता है तो उसको लाइब्रेरी में जाना चाहिये और वहां खोज करनी चाहिये, वहां पर जो पिछले संशोधन हुए हैं, वे मिल सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक प्रार्थना मैं यह करना चाहता हूं कि पुस्तकालय के लिये एक परामर्शदात्री समिति भी बनी हुई है। आप उसको सलाह दें कि वह परामर्शदात्री समिति ऐसी सलाह दे कि नियमों का संकलन हो जाय। अगर नियमों का संकलन हो जाय तो उसे ढूंढ़ने में हम लोगों को आसानी होगी और अपटुडेट नालेज भी हमको मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष—आपका यह सुझाव है कि जितने महत्वपूर्ण अधिनियम हैं और उनके नियम बने हुए हैं उनको एक साथ संग्रह कर लेना चाहिये और उनको छपवा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि न्याय मंत्री जी ही इसको करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में न्याय मंत्री जी को क्या कहना है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जैसा कि हमारे दोस्त माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि न्याय मंत्री जी को न्याय करना चाहिये, तो मैं न्याय करने के लिये तैयार हूं। लेकिन इसमें कुछ देर लगेगी। अब तक इतने अमेंडमेन्ट ऐक्ट्स हुए हैं कि उनको कांसोलिडेट करने में काफी समय लगेगा। लिहाजा यह कहना कि १४ दिन की मियाद के अन्दर वह मुकम्मल हो जाय तो इस वक्त इसकी कोई सम्भावना नहीं है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसको कांसोलिडेट करा कर एक किताब की शक्ल में उसे बनवा दिया जाय तो हमारे मित्रों को समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसे गजट में तो वह छपता है लेकिन उसे कौन पढ़ता है और वह काम कौन करे।

श्री अध्यक्ष—वे कल प्राइवेट सेक्रेटरी की मांग इसके लिये कर सकते हैं। (हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्राइवेट सेक्रेटरी का तो कहीं पर प्राविजन ही नहीं है फिर वह कैसे किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि ऐसा हो जाय तो अच्छा है लेकिन यह असम्भव है कि सदन की अवधि के अन्दर ही हम इनका संकलन कर पावेंगे।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री अध्यक्ष—अब सचिव, विधान सभा कुछ घोषणायें करेंगे।

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २२ मार्च, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ मार्च, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २८ मार्च, १९५९ को प्राप्त हो गयी और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का ७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ मार्च, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० मार्च, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० मार्च, १९५९ को प्राप्त हो गयी और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का ८ वां अधिनियम बन गया।

गवर्नमेन्ट ग्राण्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि गवर्नमेन्ट ग्रान्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ फरवरी, १९५९ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ अप्रैल, १९५९ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २१ मई, १९५९ को प्राप्त हो गयी और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का ९वां अधिनियम बन गया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। स्वामी विश्वेश्वरानन्द, सदस्य, विधान सभा दिनांक २६.७.५९ को भारतीय दंड विधान की दफा १४७,३२३,३४२,३५३,३३२,३४१ के अन्तर्गत एस० डी० एम० किरोली, जिला आगरा द्वारा दी गयी आज्ञा के फलस्वरूप गिरफ्तार किये गये हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—कार्य-स्थगन प्रस्ताव और नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई ध्यान आकृष्ट करने वाले माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। मैं इन दोनों प्रकार के प्रस्तावों को कल लूंगा क्योंकि आज की जो अब कार्यवाही है वह अब केवल १०,१५ या २० मिनट की रह गयी है और कार्यस्थगन प्रस्ताव ४ बजे आयेगा तो ऐसी हालत में इस समय उस का लेना निरर्थक ही होगा। इनका नोटिस मैंने इस समय ले लिया है और कल उन पर निर्णय दूंगा और जिन्होंने आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है कल तक उनको भी समय रहेगा, उनकी मियाद भी कल तक रहेगी क्योंकि आज केवल फार्मल बिजिनेस का दिन है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कार्यक्रम में छपा था कि कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव या नियम ५२ के अन्तर्गत कोई सूचना हो तो उसी को देख कर नियम ५२ के अन्तर्गत हम ने दे दिया। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि कल हमें फिर से नोटिस तो नहीं देना होगा?

श्री अध्यक्ष—नहीं देना होगा। लेकिन जो पिछले दिनों के हैं और पहले रोज आने चाहिये उनके लिये मैं एक दिन की मियाद देता हूं, यह मैंने कहा क्योंकि आज तो केवल फार्मल बिजिनेस का दिन रहा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, यदि आप ने कल यह निर्णय लिया कि नियम के अनुसार एक दिन में एक ही कामरोको प्रस्ताव लिया जायगा तो आप ने अगर दो प्रस्तावों को महत्वपूर्ण समझा तो वह नियम हमारे लिये बाधक होगा और जो लोग कामरोको प्रस्ताव दिये हैं वह उनके लिये सहूलियत की बात न होगी। इस का भी आप ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई बाधा न होगी क्योंकि यह कुछ आज आये हैं और कुछ कल आयेंगे, आज वाला भी एक ही लिया जायगा और कल वालों में भी एक ही की गुंजाइश हो सकती है कि परसों लिया जाय, दूसरे दिन।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, क्या आप की व्यवस्था ऐसी रही कि अगर कल को आपने एक को महत्वपूर्ण समझा तो एक कल हो जायगा और आपने कल वालों में से दो को·····

श्री अध्यक्ष—मैं कल ही फैसला दूंगा तब पता लग जायगा।

विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये श्री नारायणदत्त तिवारी की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २७९ के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के संबंध में श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा। वह मैं पढ़कर सुनाये देता हूं:

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश विधान सभा,
लखनऊ।

श्रीमन्,

स्वीडन के प्रधान मंत्री तथा स्वीडन की मजदूर पार्टी के चेयरमैन श्री टाग इरलेंडर तथा प्रोफेसर गुन्नार मिर्डेल के आमन्त्रण पर मैं स्वीडन की नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अध्ययन के लिये योरोप जा रहा हूं। स्वीडन के अलावा नार्वे, डेनमार्क, पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी तथा इंगलैण्ड आदि देशों में भी अध्ययनार्थ जाने का विचार है।

अस्तु, आप से तथा विधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना है कि मुझे ७ मास की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें।"

मैं समझता हूं कि यह सर्वसम्मति से सब को स्वीकृत है।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी और प्रार्थना स्वीकृत हुई।)

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों में संशोधन

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम के नियम १(क) में दी हुई सूची के स्तम्भ १ और २ के मद ४,५ और ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

(४) सार्वजनिक निर्माण,
(५) सिंचाई
(६) विद्युत्।

श्रीमन्, पहले यह था कि पी०डब्ल्यू० डी० और इर्रीगेशन एक ही डिपार्टमेंट था और इसलिये उसमें यह रखा गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई), सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत्)। लेकिन अब चूंकि तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग हो गये हैं लिहाजा यह संशोधन जरूरी हुआ। इस वजह से मैं इसे पेश कर रहा हूं। आशा है सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा आपके द्वारा। सब स्थायी समितियों के निर्वाचन अगले सेशन के लिये स्थगित हो गये थे। मैं जानना चाहूंगा कि उनकी तारीखों की घोषणा क्या निकट भविष्य में की जाने वाली है।

श्री अध्यक्ष--मैं यह निश्चय करके बता दूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)------श्रीमन्, न्याय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है, मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करूंगा कि इर्रीगेशन को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन की कमेटी संशोधित रूप में बना दी जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह जो आपने प्रस्ताव किया वह बेजोड़ बैठेगा। वह तो पोर्टफोलियो के संबंध में आप कह सकते हैं कि जिसके हाथ में एग्रीकल्चर हो उसके हाथ में यह भी चला जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम के नियम १(क) में दी हुई सूची के स्तम्भ १ और २ के मद ४,५ और ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

(४) सार्वजनिक निर्माण,

(५) सिंचाई,

(६) विद्युत्।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुनः संघटित कोर्ट में कार्य करने के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुनः संघटित कोर्ट में कार्य करने के लिये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) के मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ (वर्ग ७) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में कार्य करने के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ (वर्ग ७) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेशीय शिक्षा दल की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, प्रदेशीय शिक्षा दल के संगठन व प्रशासन से संबंधित नीति के मामलों में परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये प्रदेशीय शिक्षा दल अधिनियम, १९५८ की धारा ८ के खंड (७) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का चुनाव करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, प्रदेशीय शिक्षा दल के संगठन व प्रशासन से संबंधित नीति के मामलों में परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये प्रदेशीय शिक्षा दल अधिनियम, १९५८ की धारा ८ के खंड (७) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि अधिवेशन का प्रथम दिन होने के कारण इस हफ्ते में जो कार्य हो उसका उल्लेख नेता सदन को कर देना चाहिये था। अभी हमारे सामने जो एजेण्डा है उसमें तीन दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की बात है। किन्तु ३१ तारीख को कौन-सा विधेयक पहले लिया जायगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। माननीय नेता सदन अगर कार्यक्रम बता दें तो अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता सदन बता दें कि क्या कार्य लिया जायगा ३१ तारीख को।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जो कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल काउन्सिल से आया हुआ है उसके ऊपर विचार होगा।

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्त कोई कार्य नहीं है। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर १ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये, स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२७ जुलाई, १९५९।